

प्रेषक,

जिलाधिकारी,  
हरिद्वार।

सेवा में,

सचिव (वित्त),

उत्तराखण्ड शासन।

पत्रांक:- 04 / स्टाप्प-2020 (निबन्धन)

दिनांक:- 13 जनवरी, 2020।

विषय:- जनपद हरिद्वार में दिनांक 13 जनवरी, 2020 से नवीन मूल्यांकन सूची निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में शासन से निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या 17/2020/XXVII(9)/स्टाप्प-80/2009 दिनांक 12 जनवरी, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद स्तर से शासन को पूर्व में प्रेषित प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के अनुरूप जनपद में नवीन मूल्यांकन सूची को दिनांक 13 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त किये जाने एवं तत्सम्बन्धी सूचना शासन को प्रेषित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त सम्बन्ध में अवगत कराना है, कि शासन के द्वारा दिये गये पूर्वोक्त वर्णित निर्देशों के क्रम में जनपद स्तर से शासन को पूर्व में प्रेषित प्रस्तावित मूल्यांकन सूची के अनुरूप जनपद हरिद्वार के क्षेत्रों हेतु दिनांक 13 जनवरी, 2020 से प्रवृत्त होने वाली नवीन मूल्यांकन सूची निर्गत कर दी गयी है। अतः सूचना उक्तवत् प्रेषित की जा रही है।

भवदीय

(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)

आई0ए0एस0,

जिलाधिकारी,

हरिद्वार।

प्रतिलिपि:-


महानिरीक्षक निबन्धन, उत्तराखण्ड देहरादून को जनपद में निर्गत की गयी  
मूल्यांकन सूची की प्रति सहित प्रेषित।

  
जिलाधिकारी,

हरिद्वार।

# जनपद हरिद्वार

उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन (संशोधन) नियमावली, 2015 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञापः-17/2020/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 वित्त अनुभाग-9 देहरादून, दिनांक:-12 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार के प्रमुख मार्ग, नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि एवं भवनों के अन्तरण हेतु पुनरीक्षित न्यूनतम सर्किल दरें संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित की जाती है, जो दिनांक 13 जनवरी 2020 से प्रभावी होगी।

  
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
आई0२0एस0  
कलेक्टर हरिद्वार।

## कार्यालय कलेक्टर हरिद्वार।

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- जिला निबंधक हरिद्वार।
- 5- जिला स्टाम्प अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।
- 6- सहायक महानिरीक्षक निबंधन हरिद्वार।
- 7- सब रजिस्ट्रार हरिद्वार-I/II, रुड़की-I/II/III एवं लक्सर।
- 8- तहसीलदार, हरिद्वार/रुड़की/भगवानपुर एवं लक्सर।

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

  
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
आई0२0एस0  
कलेक्टर हरिद्वार।




1

## तहसील हरिद्वार अन्तर्गत स्थित प्रमुख मार्गों की दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
		कृषि भूमि दर (₹करोड़ प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
			सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान / रैस्टोरेन्ट / कार्यालय (सड़क पर 200 की दूरी मीटर तक)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक)	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	हरिद्वार ऋषिकेश बाई पास रोड (जनपद हरिद्वार सीमा प्रारम्भ से दूधाधारी चौक तक)	-	33000	29000	45000	110000	93000	12000	11000
2	हरिद्वार ऋषिकेश रोड (दूधाधारी चौक से पावन धाम चौराहे तक)	-	25000	22000	37000	90000	75500	12000	11000
3	हरिद्वार ऋषिकेश रोड (पावन धाम चौराहे से शंकराचार्य चौराहे तक)	-	13000	12000	25000	65000	55000	12000	11000
4	हरिद्वार बाईपास रोड (शंकराचार्य चौराहे से सिंहद्वार चौक तक)	-	35000	32500	47000	110000	93000	12000	11000
5	हरिद्वार बाईपास रोड (सिंहद्वार चौराहे से पुल जटवाड़ा से आगे सराय बाईपास मोड़ तक)	-	25000	22000	37000	90000	75500	12000	11000
6	हरिद्वार बाईपास रोड (गुरुकुल कांगड़ी कन्या ज्वालापुर के तिराहे से जुर्स कन्ट्री से पहले सराय बाईपास मोड़ तक)	-	25000	22000	37000	90000	75500	12000	11000
7	हरिद्वार रुड़की रोड (जुर्स कन्ट्री से पहले सराय बाईपास मोड़ से बहादुराबाद सिडकुल तिराहे तक)	6.50	15000	14000	27000	72000	62000	12000	11000
8	बहादुराबाद बाईपास मार्ग	6.00	13000	12000	25000	65000	55000	12000	11000


  
 उप निबन्धक-प्रथम  
 हरिद्वार

  
 (कृष्ण कुमार मेम्र)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
 हरिद्वार  
 सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलकत्ता स्टाम्प  
 हरिद्वार

(2)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
		कृषि भूमि दर (₹करोड़ प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
			सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय (सड़क पर 200 मीटर तक)	अन्य वाणिज्यिक इतिष्ठान (सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक)	प्रथम श्रेणी लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	हरिद्वार रुड़की रोड (बहादुराबाद सिंडकुल तिराहे से बहादुराबाद बाईपास तक)	7.50	16000	14000	28000	74000	53000	12000	11000
10	हरिद्वार रुड़की रोड (बहादुराबाद बाईपास से तहसील हरिद्वार की सीमा तक)	6.00	14500	13500	26500	67500	50000	12000	11000
11	शान्तिकुंज मार्ग (ऋषिकेश रोड़ पर पुलिस चौक पोस्ट से सप्त ऋषि आश्रम तक)	-	25000	22000	37000	90000	75500	12000	11000
12	सप्त सरोवर मार्ग (ऋषिकेश रोड़ पर पावनधाम चौराहे से सप्तऋषि आश्रम तक)	-	35000	32500	47000	110000	70000	12000	11000
13	पावन धाम रोड़ (ऋषिकेश रोड़ पर पावनधाम चौराहे से बांगरो नदी के पुल तक)	-	28000	25000	40000	105000	73000	12000	11000
14	खड़खड़ी शमशान रोड़ पर मोड़ से आगे	-	22000	20000	34000	87000	75000	12000	11000
15	महात्मा गांधी मार्ग (शंकराचार्य चौक से कनखल बाजार तक)	-	25000	22000	37000	90000	75500	12000	11000
16	सराय रोड़ (मण्डी समिति चौराहे से हॉली गंगेज स्कूल तक)	-	22000	20000	34000	87000	75000	12000	11000
17	सराय रोड़ (हॉली गंगेज स्कूल के आगे से ग्राम सराय तक)	6.00	14500	13500	26500	72000	61000	12000	11000

  
उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (टिच एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार



क्र० सं०	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
		कृषि भूमि दर (₹करोड़ प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
			सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय (सड़क पर 200 की दूरी मीटर तक)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक)	प्रथम श्रेणी (लिनट्र पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18	सराय बाईपास रोड़	6.00	14500	13500	26500	72000	61000	12000	11000
19	खड़खड़ी रोड़ (दूधाधारी चौक से भीमगोड़ा पुलिस चौक पोस्ट तक)	-	35000	32500	47000	110000	90000	12000	11000
20	भीमगोड़ा मार्ग (भीमगोड़ा पुलिस चौक पोस्ट से हरि की पैड़ी तक)	-	33000	29000	45000	105000	85000	12000	11000
21	अपर रोड़ (हर की पैड़ी से थाना कोतवाली तिराहे तक)	-	57000	55000	69000	170000	150000	12000	11000
22	रेलवे रोड़ (कोतवाली तिराहे से शिवमूर्ति तिराहे तक)	-	57000	55000	69000	170000	150000	12000	11000
23	रेलवे रोड़ (शिवमूर्ति तिराहे से देवपुरा तिराहे तक)	-	45000	42000	57000	130000	110000	12000	11000
24	ऋषिकुल रोड़ (देवपुरा तिराहे से शंकर आश्रम तक)	-	55000	52000	67000	150000	130000	12000	11000
25	ज्वालापुर कोतवाली रोड़ (शंकर आश्रम से पुल जटवाड़ा तक)	-	33000	29000	45000	110000	90000	12000	11000
26	अपर रोड़ जोगिया मण्डी क्षेत्र	-	57000	55000	69000	170000	150000	12000	11000
27	मनसादेवी हिल बाईपास रोड़ (रेलवे फाटक से फारेस्ट बैरियर छायाणन्द स्कूल तक)	-	13000	12000	25000	65000	55000	12000	11000
28	मनसादेवी हिल बाईपास रोड़ (खड़खड़ी से रेलवे फाटक तक)	-	20000	18000	32000	80000	70000	12000	11000

उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
कृष्ण कुमार मिश्रा  
सहायक आयुक्त स्टेशन  
हरिद्वार

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
		कृषि भूमि दर (₹करोड़ प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
			सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय (सड़क पर 200 की दूरी तक)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक)	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
29	बिल्केश्वर ज्वालापुर बाईपास रोड (ललतारौ पुल से रेलवे पुल भेल का सैक्टर-2 बैरियर तक)	-	17000	15500	29000	75000	64000	12000	11000
30	ललतारौ रोड़ (अपर रोड से गंगा पुल तक)	-	22000	20000	34000	83500	66800	12000	11000
31	ललतारौ रोड़ (अपर रोड से चण्डी चौक तक)	-	22000	20000	34000	83500	66800	12000	11000
32	जस्सा राम रोड़	-	57000	55000	69000	170000	150000	12000	11000
33	भल्ला रोड़	-	45000	42000	57000	130000	110000	12000	11000
34	बिरला रोड़	-	45000	42000	57000	130000	110000	12000	11000
35	जोधामल रोड़	-	38000	36000	50000	125000	105000	12000	11000
36	भोलागिरी मार्ग	-	35000	32500	47000	110000	90000	12000	11000
37	हरिद्वार कनखल रोड़ (शिवमूर्ति से नहर पुल तक)	-	35000	32500	47000	110000	90000	12000	11000
38	दिल्ली रोड़ (रानीपुर मोड़ से नया हरिद्वार पुल तक)	-	38000	36000	50000	125000	105000	12000	11000
39	बी०एच०ई०एल० रोड़ (रानीपुर मोड़ से विनायक होटल से आगे रेलवे पुल तक)	-	38000	36000	50000	125000	105000	12000	11000
40	टिबड़ी रोड़ (रानीपुर मोड़ से टिबड़ी ग्राम तक)	-	20000	18000	32000	80000	70000	12000	11000
41	अवधूत मण्डल आश्रम रोड़ (शंकर आश्रम से सिंहद्वार चौक तक)	-	28000	25000	40000	105000	88000	12000	11000
42	कनखल रोड़ (आर्यनगर चौक से सिंहद्वार चौक तक)	-	35000	32500	47000	110000	90000	12000	11000
43	रेलवे रोड़ ज्वालापुर (आर्यनगर चौक से रेलवे फाटक ज्वालापुर तक)	-	35000	32500	47000	110000	90000	12000	11000


उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।




क्र० सं०	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
		कृषि भूमि दर (₹करोड़ प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
			सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय (सड़क पर 200 की दूरी मीटर तक)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक)	प्रथम श्रेणी (लिनन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
44	रेलवे रोड़ ज्वालापुर (पुलिस चौकी ज्वालापुर से सैक्टर-2 बैरियर तक)	-	35000	32500	47000	110000	90000	12000	11000
45	रेलवे रोड़ ज्वालापुर (पुलिस चौकी से पंजाबी धर्मशाला तक)	-	35000	32500	47000	110000	90000	12000	11000
46	गुरुद्वारा रोड़ (पुलिस चौकी से कटहरा बाजार तक)	-	35000	32500	47000	110000	90000	12000	11000
47	गुरुद्वारा रोड़ (कटहरा बाजार से झण्डा चौक ज्वालापुर तक)	-	35000	32500	47000	110000	90000	12000	11000
48	गुरुद्वारा रोड़ (झण्डा चौक ज्वालापुर से थाना कोतवाली ज्वालापुर तक)	-	35000	32500	47000	110000	90000	12000	11000
49	वाल्मिकी बस्ती-घासमण्डी रोड़ (ज्वालापुर कोतवाली चौक से वाल्मिकी बस्ती होते हुए ईदगाह रोड़ पर शिव मन्दिर तिराहे तक)	-	17000	15500	29000	75000	64000	12000	11000
50	ईदगाह रोड़ (मौहल्ला पांवधोई से शिवालिक नगर बी०एस०पी० कार्यालय तक)	-	17000	15500	29000	75000	64000	12000	11000
51	रानीपुर विस्थापित मार्ग (रानीपुर टिहरी विस्थापित कालोनी के मोड़ से होटल विनायक ग्रेन्ड तक)	-	16000	14000	28000	74000	63000	12000	11000
52	कनखल रोड़ (कनखल थाने से सिंहद्वार चौक तक)	-	35000	32500	47000	110000	90000	12000	11000
53	कनखल रोड़ (झण्डा चौक कनखल बाजार से पुलिस थाने तक)	-	28000	26500	40000	105000	88000	12000	11000

  
उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
		कृषि भूमि दर (₹करोड़ प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	वाणिज्यिक भवन की दर (₹सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
			सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय (सड़क पर 200 की दूरी तक)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक)	प्रथम श्रेणी (लिनटर् पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54	रामकिशन मिशन रोड़ (पुलिस थाने से बंगाली हास्पिटल तक)	-	25000	22000	37000	90000	76500	12000	11000
55	दक्ष रोड़ (चौक बाजार कनखल से आनन्दमयी आश्रम तक)	-	22000	20000	34000	87000	75000	12000	11000
56	दक्ष रोड़ (आनन्दमयी आश्रम से क्रेशर फौक्ट्री तक)	-	20000	18000	32000	68000	59000	12000	11000
57	लक्सर रोड़ (देशरक्षक औषधालय से स्वयंवर पैलेस तिराहे तक)	-	20000	18000	32000	80000	70000	12000	11000
58	लक्सर रोड़ (स्वयंवर पैलेस तिराहे से डी०ए०वी० कॉलेज से आगे ग्राम जगजीतपुर की सीमा समाप्ति तक)	-	16000	15000	28000	74000	63000	12000	11000
59	लक्सर रोड़ (ग्राम मिस्सरपुर सीमा प्रारम्भ से तहसील हरिद्वार की सीमा समाप्ति तक)	5.50	11000	10000	23000	57500	51700	12000	11000
60	नजीबाबाद मार्ग (चण्डीपुल से श्यामपुर थाना शनि मन्दिर तक)	7.00	15000	14000	27000	72000	62000	12000	11000
61	नजीबाबाद मार्ग (श्यामपुर थाना शनि मन्दिर से जनपद हरिद्वार की सीमा तक)	4.90	11000	10000	23000	57500	51700	12000	11000
62	लालढाग मार्ग (गैँडी खाता से लालढाग होते हुए जनपद की सीमा तक)	3.50	8000	7000	20000	50500	43000	12000	11000

  
 उप निरीक्षक-प्रथम  
 हरिद्वार


  
 (कृष्ण कुमार मिश्र)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
 हरिद्वार।  
 सहायक आयुक्त/स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
 हरिद्वार



7

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
		कृषि भूमि दर (रैंकरोड प्रति हैक्टेयर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर) सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक	वाणिज्यिक भवन की दर (रुसुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
			सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	सड़क पर 50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय (सड़क पर 200 की दूरी तक)	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान (सड़क पर 200 मीटर की दूरी तक)	प्रथम श्रेणी (लिनटर् पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
63	रोशनाबाद-बिहारीगढ़ राज्य मार्ग (मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के तिराहे से नवोदय विद्यालय के आगे तिराहे तक)	4.75	11000	10000	23000	57500	51700	12000	11000
64	रोशनाबाद-बिहारीगढ़ राज्य मार्ग (नवोदय विद्यालय के आगे तिराहे से ग्राम हेत्तमपुर की सीमा तक)	4.30	10000	9000	22000	54500	49000	12000	11000
65	रोशनाबाद-बिहारीगढ़ राज्य मार्ग (ग्राम हेत्तमपुर की सीमा से आगे ग्राम औरंगाबाद की सीमा तक)	3.30	7000	6300	19000	49000	41000	12000	11000
66	रोशनाबाद-बिहारीगढ़ राज्य मार्ग (ग्राम औरंगाबाद की सीमा से आगे से तहसील हरिद्वार की सीमा तक)	2.50	5500	4800	17500	44500	38000	12000	11000
67	बी. एच. ई. एल. रोड (शिवालिक नगर तिराहे से होटल विनायक ग्रेन्ड तक)	-	30000	25000	42000	110000	90000	12000	11000
68	बी.एच.ई.एल. रोड (होटल विनायक ग्रेन्ड से सलेमपुर पुलिस चौक पोस्ट तिराहे तक)	-	24000	22000	36000	90000	76500	12000	11000
69	सिडकुल रोड (बहादुराबाद सिडकुल तिराहे से सलेमपुर चौक पोस्ट तक)	-	17000	15500	29000	75000	64000	12000	11000
70	सिडकुल बाईपास मार्ग (सलेमपुर पुलिस चौकपोस्ट से राजा बिस्कुट फैक्ट्री तक)	5.00	13000	11700	25000	65000	55000	12000	11000
71	धनौरी मार्ग (बहादुराबाद तिराहे से धनौरी मार्ग पर तहसील हरिद्वार की सीमा तक)	4.03	10000	9000	22000	54500	49000	12000	11000

  
उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

  
कृष्ण कुमार निश्र  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक अधीक्षक/कलेक्टर राज्य

8

## तहसील हरिद्वार के नगर निगम क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र. सं.	नगर निगम क्षेत्र के वार्ड/मौहल्ले का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)					
		अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वार्ड नं.-1 सप्तऋषि	19000	31000	75000	65000	12000	11000
2	वार्ड नं.-2 भोपतवाला	20000	32000	77000	68000	12000	11000
3	वार्ड नं.-3 दुर्गानगर	10000	22000	52000	47000	12000	11000
4	वार्ड नं.-4 खड़खड़ी	20000	32000	77000	68000	12000	11000
5	वार्ड नं.-5 श्रीगंगाधर महादेव नगर	11000	23000	55000	49000	12000	11000
6	वार्ड नं.-6 भीमगोड़ा	20000	32000	75000	64500	12000	11000
7	वार्ड नं.-7 हरकी पैड़ी	50000	62000	130000	110000	12000	11000
8	वार्ड नं.-8 गरुघाट	42000	54000	120000	105000	12000	11000
9	वार्ड नं.-9 ब्रह्मपुरी	11000	23000	55000	49000	12000	11000
10	वार्ड नं.-10 बिल्केश्वर	16000	28000	71000	60000	12000	11000
11	वार्ड नं.-11 श्रवणनाथ नगर	50000	62000	130000	110000	12000	11000
12	वार्ड नं.-12 निर्मला छावनी	16000	28000	71000	60000	12000	11000
13	वार्ड नं.-13 मायापुर	32000	44000	95000	80000	12000	11000
14	वार्ड नं.-14 ऋषिकुल	23000	35000	85000	74000	12000	11000
15	वार्ड नं.-15 विवेक विहार	23000	35000	85000	74000	12000	11000

उप निदेशक-प्रथम  
हरिद्वार


सहायक आयुक्त (कृष्ण कुमार मिश्र)  
जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



(9)


क्र. सं.	नगर निगम क्षेत्र के वार्ड/मौहल्ले का नाम (सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)	सामान्य दर (BASE RATE)					
		अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
				दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8
16	वार्ड नं.-16 शिवलोक	13000	25000	63000	53500	12000	11000
17	वार्ड नं.-17 टिबड़ी	11000	23000	55000	49000	12000	11000
18	वार्ड नं.-18 गोविन्दपुरी	32000	44000	95000	80000	12000	11000
19	वार्ड नं.-19 खन्नानगर	23000	35000	85000	74000	12000	11000
20	वार्ड नं.-20 आवास विकास	32000	44000	95000	80000	12000	11000
21	वार्ड नं.-21 शारदानगर	16000	28000	71000	60000	12000	11000
22	वार्ड नं.-22 आर्यनगर	16000	28000	71000	60000	12000	11000
23	वार्ड नं.-23 रामनगर	15000	27000	70000	60000	12000	11000
24	वार्ड नं.-24 कृष्णानगर	15000	27000	70000	60000	12000	11000
25	वार्ड नं.-25 आचार्यान	20000	32000	75000	64500	12000	11000
26	वार्ड नं.-26 सन्देशनगर	15000	27000	70000	60000	12000	11000
27	वार्ड नं.-27 लाटोवाली	10000	22000	52000	47000	12000	11000
28	वार्ड नं.-28 राजघाट	10000	22000	52000	47000	12000	11000
29	वार्ड नं.-29 कुम्हार गढ़ा	15000	27000	70000	60000	12000	11000
30	वार्ड नं.-30 चौक बाजार	23000	35000	85000	74000	12000	11000
31	वार्ड नं.-31 रविदास बस्ती	15000	27000	70000	60000	12000	11000
32	वार्ड नं.-32 नाथनगर	15000	27000	70000	60000	12000	11000
33	वार्ड नं.-33 शास्त्रीनगर	15000	27000	70000	60000	12000	11000

  
उप विभागाध्यक्ष-प्रथम  
हरिद्वार

  
सहायक आयुक्त (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

क्र. सं.	नगर निगम क्षेत्र के वार्ड/मौहल्ले का नाम (सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)	सामान्य दर (BASE RATE)					
		अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
				दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8
34	वार्ड नं.-34 अम्बेडकर नगर	11000	23000	55000	49000	12000	11000
35	वार्ड नं.-35 कड़ुच्छ	11000	23000	55000	49000	12000	11000
36	वार्ड नं.-36 तेलियान	11000	23000	55000	49000	12000	11000
37	वार्ड नं.-37 कोटरावान	11000	23000	55000	49000	12000	11000
38	वार्ड नं.-38 मेहतान	9000	21000	50000	45000	12000	11000
39	वार्ड नं.-39 लोघामण्डी	15000	27000	70000	60000	12000	11000
40	वार्ड नं.-40 पीठ बाजार	23000	35000	85000	74000	12000	11000
41	वार्ड नं.-41 कस्सावान	11000	23000	55000	49000	12000	11000
42	वार्ड नं.-42 बाल्मिकी बस्ती	9000	21000	50000	45000	12000	11000
43	वार्ड नं.-43 पांवघोई	11000	23000	55000	49000	12000	11000
44	वार्ड नं.-44 त्रिमूर्ति नगर	9000	21000	50000	45000	12000	11000
45	वार्ड नं.-45 तपोवन नगर	11000	23000	55000	49000	12000	11000
46	वार्ड नं.-46 नीलखुदाना	11000	23000	55000	49000	12000	11000
47	वार्ड नं.-47 पाण्डेवाला	11000	23000	55000	49000	12000	11000
48	वार्ड नं.-48 चाकलान	11000	23000	55000	49000	12000	11000
49	वार्ड नं.-49 लक्कड़हारान	11000	23000	55000	49000	12000	11000
50	वार्ड नं.-50 मैदानियान	11000	23000	55000	49000	12000	11000
51	वार्ड नं.-51 घोसियान	11000	23000	55000	49000	12000	11000
52	वार्ड नं.-52 अहवाबनगर	11000	23000	55000	49000	12000	11000

  
 उप निगम प्रथम  
 हरिद्वार

  
 (कृष्ण कुमार मिश्र)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
 सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
 हरिद्वार।



क्र. सं.	नगर निगम क्षेत्र के वार्ड/मौहल्ले का नाम (सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)	सामान्य दर (BASE RATE)					
		अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		वैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
				दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	प्रथम श्रेणी (लिनन्टर नोश)	प्रथम श्रेणी (लिनन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8
53	वार्ड नं.-53 विष्णुलोक	16000	28000	71000	60000	12000	11000
54	वार्ड नं.-54 गुरुकुल	15000	27000	70000	60000	12000	11000
55	वार्ड नं.-55 शिवपुरी	10000	22000	52000	47000	12000	11000
56	वार्ड नं.-56 हनुमन्तपुरम	15000	27000	70000	60000	12000	11000
57	वार्ड नं.-57 जगजीतपुर	15000	27000	70000	60000	12000	11000
58	वार्ड नं.-58 राजागार्डन	15000	27000	70000	60000	12000	11000
59	वार्ड नं.-59 सीतापुर	12500	24500	63000	53500	12000	11000
60	वार्ड नं.-60 हरिलोक	13000	25000	63000	53500	12000	11000

उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

सहायक आयुक्त स्टाफ/कलेक्टर स्टाफ  
हरिद्वार

# तहसील हरिद्वार के नगर पालिका परिषद, शिवालिक नगर क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	नगर पालिका क्षेत्र के वार्ड/मौहल्ले का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)					
		अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया) (रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
				दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिच्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	वार्ड नं०-1 शिवालिक नगर कलस्टर पी०के० व जे०	20000	32000	85000	75000	12000	11000
2	वार्ड नं०-2 शिवालिक नगर कलस्टर एल० व एस०	20000	32000	85000	75000	12000	11000
3	वार्ड नं०-3 शिवालिक नगर फेज-3 व 04	20000	32000	85000	75000	12000	11000
4	वार्ड नं०-4 शिवालिक नगर कलस्टर एस०	20000	32000	85000	75000	12000	11000
5	वार्ड नं०-5 न्यू शिवालिक नगर	15000	27000	70000	60000	12000	11000
6	वार्ड नं०-6 न्यू टिहरी विस्थापित	13500	25500	63000	53000	12000	11000
7	वार्ड नं०-7 टिहरी विस्थापित दक्षिणी कालोनी	13500	25500	63000	53000	12000	11000
8	वार्ड नं०-8 सुभाष नगर पश्चिमी	10000	22000	55000	47000	12000	11000
9	वार्ड नं०-9 सुभाष नगर पश्चिमी पूर्वी	10000	22000	55000	47000	12000	11000
10	वार्ड नं०-10 सुभाष नगर सैन्ट्रल	10000	22000	55000	47000	12000	11000
11	वार्ड नं०-11 सुभाष नगर पूर्वी	10000	22000	55000	47000	12000	11000
12	वार्ड नं०-12 रामधाम कालोनी शिवालिकनगर	11000	23000	55000	47000	12000	11000
13	वार्ड नं०-13 (कृपालनगर, दीपगंगा अपार्टमेन्ट, मंत्रा सिटी व हरिद्वार ग्रीन्स)	13000	25000	55000	47000	12000	11000
14	वार्ड नं०-13 के अन्य क्षेत्र	8500	20500	52000	46000	12000	11000
15	अंतरिक्ष एन०आर०आई० सिटी सिडकुल	15000	27000	80000	70000	12000	11000
16	इन्द्रलोक आवासीय योजना	15000	27000	80000	70000	12000	11000

  
उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मैश्रा)  
अपर जिलाधिकारी (विन एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार




## तहसील हरिद्वार के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	अर्द्धनगरीय क्षेत्र के मोहल्ले / राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
		कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर रूलाख में)	अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान / रैस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रघुनाथ रेजीडेन्सी बहादराबाद	-	11000	23000	55000	47000	12000	11000
2	ज्वालापुर (बाहर सीमा नगर निगम/नगर पालिका)	155.00	9500	21500	53000	47000	12000	11000
3	रानीपुर (बाहर सीमा नगर निगम/नगर पालिका)	155.00	9500	21500	53000	47000	12000	11000
4	मेगा ग्रीन होम्स रानीपुर	-	9500	21500	53000	47000	12000	11000
5	रावली महदूद (बाहर सीमा नगर पालिका)	120.00	9500	21500	53000	47000	12000	11000
6	सुल्तानपुर मजरी	120.00	9000	21000	52000	46000	12000	11000
7	जमालपुर कलां	120.00	9000	21000	52000	46000	12000	11000
8	जमालपुर खुर्द (बाहर सीमा नगर पालिका)	120.00	9000	21000	52000	46000	12000	11000
9	बहादराबाद	120.00	9000	21000	52000	46000	12000	11000
10	कांगडी	100.00	8500	20500	51500	45000	12000	11000
11	सलेमपुर महदूद (द्वितीय) (बाहर सीमा नगर पालिका)	100.00	7500	19500	51500	45000	12000	11000
12	सलेमपुर महदूद (प्रथम) (बाहर सीमा नगर पालिका)	95.00	7500	19500	51500	45000	12000	11000
13	आन्नेकी हेत्तमपुर (बाहर सीमा नगर पालिका)	95.00	6800	18800	47500	42000	12000	11000
14	अतमलपुर बाँगला	120.00	6800	18800	47500	42000	12000	11000
15	दादूपुर गोविन्दपुर	95.00	6800	18800	47500	42000	12000	11000
16	मनोहरपुर	95.00	6800	18800	47500	42000	12000	11000

  
**उप निबंधक-प्रथम**  
**हरिद्वार**

  
**(कृष्ण कुमार मिश्र)**  
**अपर जिलाधिकारी (नित्त एवं राजस्व),**  
**सहायक आयुक्त (नित्त) / कलेक्टर (नित्त) हरिद्वार।**

क्र० सं०	अर्द्धनगरीय क्षेत्र के मोहल्ले / राजस्व ग्राम का नाम (सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)	सामान्य दर (BASE RATE)						
		कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर रुलाख में)	अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान / रैस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	बेगमपुर	58.00	5000	17000	44000	39000	12000	11000
18	खेड़ली	60.00	5000	17000	44000	39000	12000	11000
19	सुमन नगर	58.00	5000	17000	44000	39000	12000	11000
20	सराय	58.00	5000	17000	44000	39000	12000	11000
21	राजपुर	58.00	5000	17000	44000	39000	12000	11000
22	बांसवाली	58.00	5000	17000	44000	39000	12000	11000
23	गाजीवाली	58.00	5000	17000	44000	39000	12000	11000
24	श्यामपुर नौआबाद	58.00	5000	17000	44000	39000	12000	11000
25	सजनपुर पीली	58.00	5000	17000	44000	39000	12000	11000
26	मिस्सरपुर मुस्तहकम (बाहर सीमा नगर निगम)	50.00	4500	16500	43000	38000	12000	11000
27	नूरपुर पंजनहेड़ी	50.00	4500	16500	43000	38000	12000	11000
28	जियापोता	40.00	4500	16500	43000	38000	12000	11000
29	टिहरी विस्थापित क्षेत्र भगतनपुर क्षेत्र	40.00	4500	16500	43000	38000	12000	11000
30	भगतनपुर आबिदपुर उर्फ ईक्कड़	40.00	4500	16500	43000	38000	12000	11000
31	अजीतपुर मुस्तहकम	40.00	4200	16200	43000	38000	12000	11000
32	भगतनपुर आबिदपुर उर्फ इब्राहिमपुर	40.00	4200	16200	43000	38000	12000	11000
33	अहमदपुर ग्रन्ट	40.00	4200	16200	43000	38000	12000	11000
34	रोहालकी किशनपुर	40.00	4200	16200	42000	37000	12000	11000
35	गाडोवाली	35.00	3600	15600	42000	37000	12000	11000


  
उप निबन्धक-प्रथम  
हरिद्वार

  
सहायक आयुक्त (कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (दित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार



क्र० सं०	अर्द्धनगरीय क्षेत्र के मोहल्ले/ राजस्व ग्राम का नाम (सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)	सामान्य दर (BASE RATE)						
		कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर रुलाख में)	अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		नैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	अलीपुर इब्राहिमपुर	35.00	4200	16200	43000	38000	12000	11000
37	किशनपुर	30.00	3600	15600	40000	35000	12000	11000
38	अजीतपुर अहतमाल	26.00	3600	15600	40000	35000	12000	11000
39	मिस्सरपुर अहतमाल	26.00	3500	15500	40000	35000	12000	11000
40	देवपुर अहतमाल	26.00	3500	15500	40000	35000	12000	11000
41	बहादपुर जट	26.00	3500	15500	40000	35000	12000	11000
42	पुरणपुर साल्हापुर	26.00	3500	15500	40000	35000	12000	11000
43	खिन्जरपुर कलंजरा	26.00	3500	15500	40000	35000	12000	11000
44	हादीपुर	25.00	3000	15000	40000	35000	12000	11000
45	सिरसली	23.00	3000	15000	40000	35000	12000	11000
46	मोहम्मदपुर अलीपुर	23.00	3000	15000	40000	35000	12000	11000
47	मिर्जापुर	23.00	3000	15000	40000	35000	12000	11000

  
उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त रुट राजस्व),  
हरिद्वार।


  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

## तहसील हरिद्वार के ग्रामीण क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
		कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर ₹लाख में)	अकृषि भूमि (₹प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया ₹प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (₹प्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	पदार्था उर्फ धनपुरा	47.00	4000	16000	42000	37000	12000	11000
2	फेरुपुर रामखेड़ा	47.00	4000	16000	42000	37000	12000	11000
3	कटारपुर अलीपुर	47.00	4000	16000	42000	37000	12000	11000
4	आदर्श टिहरी नगर	47.00	4000	16000	42000	37000	12000	11000
5	मुस्तफाबाद	42.00	4000	16000	42000	37000	12000	11000
6	लालढांग	42.00	4000	16000	42000	37000	12000	11000
7	औरंगाबाद	40.00	3300	15300	40000	35000	12000	11000
8	नसीरपुर कलां	40.00	3300	15300	40000	35000	12000	11000
9	दीनारपुर	40.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000
10	रायपुर दरेड़ा	40.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000
11	समसपुर कटावड	40.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000
12	सहदेवपुर सहवाजपुर	40.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000
13	डालूवाला मजबता	35.00	3300	15300	40000	35000	12000	11000
14	डालूवाला कलां	35.00	3300	15300	40000	35000	12000	11000
15	भोगपुर	32.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000
16	शिवदासपुर उर्फ तेलीवाला	35.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000


  
 उप निबन्धक-प्रथम  
 हरिद्वार

  
 (कृष्ण कुमार मिश्र)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
 हरिद्वार।  
 सहायक आयुक्त/कलक्टर स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
 हरिद्वार




क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम (सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)	सामान्य दर (BASE RATE)						
		कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर रुलाख में)	अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन को दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
17	सुभाष गढ़	32.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000
18	रसूलपुर मिट्ठीबेरी	32.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000
19	गैंडीखाता	32.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000
20	सोहलपुर सिकरोड़ा	35.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000
21	पीली पड़ाव	32.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000
22	भवानीपुर जमालपुर	32.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000
23	धमौलो उर्फ खेरवाला	35.00	3000	15000	38000	32000	12000	11000
24	मोहम्मदपुर कुन्हारी	32.00	2800	14800	37000	31000	12000	11000
25	शाहपुर शीतला खेड़ा	32.00	2800	14800	37000	31000	12000	11000
26	अलावलपुर	32.00	2800	14800	37000	31000	12000	11000
27	नगला खुर्द	32.00	2800	14800	37000	31000	12000	11000
28	संघीपुर	32.00	2800	14800	37000	31000	12000	11000
29	पीतपुर	32.00	2800	14800	37000	31000	12000	11000
30	बोड़ाहेड़ी मोहिउददीनपुर	32.00	2800	14800	37000	31000	12000	11000
31	बादशाहपुर शेरपुर भट्टीपुर	32.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
32	कासमपुर	23.00	2800	14800	37000	31000	12000	11000
33	मोमिनपुर	23.00	2800	14800	37000	31000	12000	11000

  
उप निबन्धक-प्रथम  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम (सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)	सामान्य दर (BASE RATE)						
		कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर रुलाख में)	अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्त वाणिज्यिक प्रतेष्वान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
34	बहादरपुर खुर्द	23.00	2800	14800	37000	31000	12000	11000
35	मौहम्मद बेगपुर उर्फ टकाभरी	32.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
36	मानूवास ग्रन्ट	28.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
37	हादीपुर ग्रन्ट	28.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
38	डालूवाला खुर्द	28.00	2800	14800	37000	31000	12000	11000
39	दादूबास	23.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
40	अहमदपुर चिड़िया	23.00	2200	14200	33000	29000	12000	11000
41	हजाराग्रन्ट	23.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
42	फेरुपुर कटिया	26.00	3200	15200	35000	30000	12000	11000
43	गढ़	26.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
44	कोटा मुराद नगर	26.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
45	चांदपुर	26.00	3200	15200	35000	30000	12000	11000
46	टिक्कमपुर	26.00	2200	14200	33000	29000	12000	11000
47	जसपुर चमरिया	23.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
48	खालाटीरा	23.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
49	आसफनगर	20.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
50	रानीपुर	23.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000

  
उप निबन्धक-प्रथम  
हरिद्वार


  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त (वित्त एवं राजस्व)/कलक्टर (वित्त एवं राजस्व)  
हरिद्वार



(19)

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम (सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)	सामान्य दर (BASE RATE)						
		कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर रुलाख में)	अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
51	रणसुरा	23.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
52	मौहम्मदपुर उर्फ झीवरहेड़ी	23.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
53	मुकरपुर	23.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
54	नसीरपुर उर्फ नस्तरपुर	26.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
55	मुकन्दपुर	23.00	2500	14500	35000	30000	12000	11000
56	नसीरपुर खुर्द	23.00	2200	14200	33000	29000	12000	11000
57	बसोचन्दपुर	20.00	2200	14200	33000	29000	12000	11000
58	जशोधरपुर	20.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
59	बाण गंगा नम्बर-2	20.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
60	बाडी टीप	20.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
61	रसूलपुर	23.00	2200	14200	33000	29000	12000	11000
62	कालूबास ग्रन्ट	20.00	2200	14200	33000	29000	12000	11000
63	मीरपुर मुवाजरपुर	23.00	2200	14200	33000	29000	12000	11000
64	टान्डा बंजारा	20.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
65	श्याम पुर गौराबाद	20.00	2200	14200	33000	29000	12000	11000
66	कलंजरा जदीद	23.00	2200	14200	33000	29000	12000	11000
67	बादशाहपुर	23.00	2200	14200	33000	29000	12000	11000


  
उप निदेशक-प्रथम  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

20

क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम (सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)	सामान्य दर (BASE RATE)						
		कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर रुलाख में)	अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
68	कुतुबपुर	23.00	2200	14200	33000	29000	12000	11000
69	दूधलादयालवाला	20.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
70	रिठौरा ग्रन्ट	20.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
71	राजपुर	23.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
72	तालिबाबाद	23.00	2200	14200	30000	26000	12000	11000
73	झबरपुर	20.00	2400	14400	30000	26000	12000	11000
74	जसवावाला	23.00	2400	14400	30000	26000	12000	11000
75	शिव नगर	17.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
76	टिकौला जदीद	17.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
77	बिशनपुर झरड़ा मुस्तहकम	17.00	2200	14200	30000	26000	12000	11000
78	बिशनपुर झरड़ा अहतमाल	17.00	2200	14200	30000	26000	12000	11000
79	हरदेवपुर सहदेवपुर उर्फ रानी माजरा	17.00	2400	14400	30000	26000	12000	11000
80	मीरपुर	20.00	2100	14100	30000	26000	12000	11000
81	नलोवाला	20.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
82	लाहरपुर	17.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
83	पामरोवाली	17.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
84	तपड़ोवाली	17.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000

  
उप निबन्धक-प्रथम  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प



क्र० सं०	ग्रामीण क्षेत्र के राजस्व ग्राम का नाम (सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)	सामान्य दर (BASE RATE)						
		कृषि भूमि (प्रति हैक्टेयर रुलाख में)	अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रुप्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/ रैस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
85	भुङ्डीवाला	17.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
86	नौरंगाबाद	17.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
87	बुलकगंज	17.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
88	बोक्सोवाली	20.00	2200	14200	30000	26000	12000	11000
89	हरदासपुर उर्फ नयागाँव	17.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
90	वनदेव उर्फ खुशहालपुर	17.00	2200	14200	30000	26000	12000	11000
91	प्रेमनगर	17.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
92	शेखवाला ग्रन्ट	20.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
93	रावणबास ग्रन्ट	17.00	2400	14400	30000	26000	12000	11000
94	काशवोस	17.00	2000	14000	30000	26000	12000	11000
95	भुवापुर चमरावल	17.00	2100	14100	30000	26000	12000	11000

उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (विक्त एवं राजस्व),  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्ट  
हरिद्वार।  
हरिद्वार

## तहसील हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्रों की दरें

(सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	औद्योगिक क्षेत्रों के नाम	सामान्य दर (BASE RATE)	
		अकृषि भूमि (रुप्रति वर्ग मीटर)	निर्माण की दर (सुपर एरिया रुप्रति वर्ग मीटर)
1	2	3	4
1	सिड़कुल औद्योगिक क्षेत्र	14000	10000
2	बहादुराबाद औद्योगिक क्षेत्र	14000	10000
3	बेगमपुर औद्योगिक क्षेत्र	4400	10000
4	हरिद्वार औद्योगिक क्षेत्र	15000	10000

  
उप निबन्धक-प्रथम  
हरिद्वार

  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कृष्णार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



## :सामान्य अनुदेशिका:

(यह मूल्यांकन सूची का भाग है)

(A)	कृषि/अकृषि भूमि/बहुमंजिला आवासीय भवन/फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन/दुकान/प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी सामान्य निर्देश:-
1-	यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि- (क)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 05 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (ख)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (ग)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (घ)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
2-	वाणिज्यिक परिसर में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
3-	शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढियों (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीयतल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

  
उप निबन्धक-प्रथम  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार



4-	ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 गुना दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
5-	व्यवसायिक सम्पत्ति के अन्तरण विलेख पर सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत जोड़ कर आंकलित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी। परन्तु एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि शॉपिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं है, में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से होगा।
6-	1000 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी, परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7-	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
8-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पडने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख/मुख्य मार्गों के दोनों ओर की 100 मीटर दूरी तक प्रमुख/मुख्य मार्गों हेतु निर्धारित दरें लागू होंगी।
9-	कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 गुना होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।
10-	किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

  
उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
असुर मजिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



11-	बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
12-	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक/गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकर्ता प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त विलेख में भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्रफल अंकित किये जाने के साथ भवन का स्वीकृत मानचित्र/मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र लगाया जाना तथा निर्माण की श्रेणी के संबंध में श्रेणी लिन्टरपोश, टीनपोश अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। औद्योगिक निर्माण पर टीनपोश निर्माण की दरें प्रभावी होंगी।
13-	फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ फ्लैट एक्ट 1975 के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
14-	भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख कराना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मोहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
15-	वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।
16-	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य ह्रास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
17-	बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर ₹1,000/-प्रति रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
18-	भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन ₹ 22,000/-प्रति की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
19-	टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
20-	सूची में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने पर भूमि का मूल्यांकन उक्त क्षेत्र विशेष की अकृषि दर से किया जायेगा।

  
उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

21-	किसी भी औद्योगिक ईकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्रूव्ड टैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
22-	जिन क्षेत्रों में कृषि दर प्राविधानित नहीं है, उन क्षेत्रों में कृषि भूमि अन्तरित होने की दशा में क्षेत्र विशेष हेतु रुपये प्रति वर्गमीटर में निर्धारित अकृषि दर के आधे अर्थात् 50 प्रतिशत कम दर के अनुसार कृषि भूमि का मूल्यांकन किया जायेगा।
23-	विलेखों में निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा:-
(A)	(क)-किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
	(ख)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के संबंध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(ग)-विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
	(घ)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1-दुकान 2-रेस्टोरेन्ट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(ङ)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/ बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(च)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़को/मार्ग-मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(छ)-मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।
	(ज)-पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ विलेख के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा जो कि विलेख का भाग होगा।

  
उप निबन्धक-प्रथम  
हरिद्वार


  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (विन्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



(B)	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।
1-	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल (जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जायेगा) हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
2-	निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्संबंधी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।
3-	

  
उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

  
सहायक आयुक्त स्टांप/कलक्टर स्टांप हरिद्वार।  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

(2)

**क्षरण सारणी**

1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.429
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366


  
उप निबंधक-प्रथम  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त स्टांप/कलेक्टर स्टांप  
हरिद्वार



# जनपद हरिद्वार

उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन (संशोधन) नियमावली, 2015 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञापः-17/2020/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 वित्त अनुभाग-9 देहरादून, दिनांक:-12 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार के प्रमुख मार्ग, नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि एवं भवनों के अन्तरण हेतु पुनरीक्षित न्यूनतम सर्किल दरें संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित की जाती है, जो दिनांक 13 जनवरी 2020 से प्रभावी होगी।


  
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
आई0ए0एस0  
कलेक्टर, हरिद्वार।

## कार्यालय कलेक्टर हरिद्वार।

प्रतिलिपि ::-

- 1- प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- जिला निबंधक हरिद्वार।
- 5- जिला स्टाम्प अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।
- 6- सहायक महानिरीक्षक निबंधन हरिद्वार।
- 7- सब रजिस्ट्रार हरिद्वार-I/II, रुड़की-I/II/III एवं लक्सर।
- 8- तहसीलदार, हरिद्वार/रुड़की/भगवानपुर एवं लक्सर।

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

  
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
आई0ए0एस0  
कलेक्टर, हरिद्वार।

तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	सड़क से 200 मीटर की दूरी तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	क (रुड़की - हरिद्वार राष्ट्रीय राज मार्ग)	1. रुड़की टाकिज से वोट क्लब तक	—	37000	34000	49000	136000	122000	12000	11000
		2. पोलरिस होटल से वर्धमान हास्पिटल से होते हुये वोट क्लब तक	—	37000	34000	49000	110000	98000	12000	11000
		3. नीलम टाकिज से डॉ० बलदेव सिंह मार्ग पर	—	37000	34000	49000	110000	98000	12000	11000
		4. प्रेम मन्दिर रोड	—	37000	34000	49000	136000	120000	12000	11000
		5. मलकपुर चुंगी से आदर्शनगर (बादशाही रोड)	—	26000	23400	38000	101000	91800	12000	11000
		6. मलकपुर चुंगी से सोलानी पुल तक	—	34000	30600	46000	132000	119000	12000	11000
		7. परगनाधिकारी निवास से मलकपुर चुंगी तक	—	38000	35000	50000	136000	122000	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प / कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपुर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



## तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन नें स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		8. लिंक मार्ग हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग से आनन्दम सिटी तक, बढेडी राजपूतान	200	11500	9000	23500	39050	35150	12000	11000
		9. लिंक मार्ग हरिद्वार राष्ट्रीय राजमार्ग से आरोग्यम, शुभमसिटी होते हुए आनन्दीका सिटी तक, बढेडी राजपूतान	200	11000	9000	23000	38500	34650	12000	11000
		10. ग्राम बढेडी राजपूतान से शान्तरशाह होते हुये रुड़की तहसील की सीमा समाप्ति तक	450	17000	12000	29000	54000	48600	12000	11000
		11. ब्रहमपुर से बेलडी साल्हापुर होते हुए ग्राम फिरोजपुर की सीमा समाप्ति तक	360	12500	9500	24500	54000	48600	12000	11000
		12. सोलानीपुल से आगे शेरपुर (नगर निगम) की सीमा समाप्ति तक	-	16000	14000	28000	81950	73760	12000	11000

R.S.  
सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त / कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

(31)

तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर् पोश)
2	ख (रुड़की-दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग)	13. रसूलपुर निठारी	40	2800	2300	14800	36355	32720	12000	11000
		14. लादपुर खुर्द, खानपुर, शेखपुरा	110	5500	5000	17500	39600	35640	12000	11000
		15. ग्राम कुरडी से लिब्वरहेडी, कुलचन्दी, मुंडियाकी, दहियाकी, मंडावली, नारसन खुर्द	120	6200	5200	18200	39765	35790	12000	11000
		16. मंगलौर	-	13000	12000	25000	72000	64800	12000	11000
		17. ग्राम मखियाली दुन्दी से ग्राम शिमलौनी की सीमा समाप्ति तक।	140	6900	6000	18900	49830	44850	12000	11000
		18. मोहनपुरा मौहम्मदपुर से होते हुए हसन अलीपुर, आसफनगर,	-	13500	12150	25500	72000	64800	12000	11000
		18.क. तलहेडी	280	13500	12150	25500	72000	64800	12000	11000
		19. जैतपुर, उल्हेडा, उल्हेडी होते हुये तहसील रुड़की की सीमा समाप्ति तक	40	2800	2300	14800	36355	32720	12000	11000
		20. कुआहेडी	110	5500	4500	17500	41800	37620	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

-3-

सहायक आयुक्त (कृष्ण कुमार मिश्रा)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय अवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	सड़क से 200 मीटर की दूरी तक		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
3.	ग (रुड़की - देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग)	21. बी०एस०एम० तिराहे से चावमण्डी, नेहरू स्टेडियम होते हुये सब्जी मण्डी चौक तक	-	23000	18000	35000	135080	121570	12000	11000
		22. आजादनगर चौराहे से डी०ए०वी० कालेज (पुरानी रेलवे रोड) शेर सिंह राणा चौक, हनुमान मन्दिर, अनाज मंडी होते हुये रामदयाल चौराहे तक	-	24500	24000	36500	90000	81000	12000	11000
		23. आजादनगर चौराहे से पनियाला रोड पर नगर निगम की सीमा के बाद रेलवे फाटक तक	-	13000	9600	25000	66000	57000	12000	11000
		24. आजादनगर चौराहे से पनियाला रोड पर नगर निगम की सीमा तक	-	17500	17000	29500	80000	71780	12000	11000
		25. मालवीय चौक से रेलवे स्टेशन (गणेशपुर)	-	30500	27450	42500	124000	110000	12000	11000
		26. गंगनहर पुल से रेलवे स्टेशन (गणेशपुर)	-	30500	27450	42500	124000	110000	12000	11000
		27. रामनगर चौराहे से पुरानी रेलवे रोड तक	-	29000	23500	41000	120000	108000	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)


सहायक आयुक्त स्टाफ सिलेक्टर स्टाफ पर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
हरिद्वार।

तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय		
		28. वैशाली मण्डपम के सामने अशोक मार्ग तिराहे से रामनगर चुंगी तक	-	28000	19200	40000	134640	108310	12000	11000
		29. गंगनहर पुल से रामपुर चुंगी तक	-	38000	31500	50000	136000	120000	12000	11000

		30. इब्राहीमपुर देह से सालियर साल्हापुर, पुहाना, किशनपुर जमालपुर होते हुए करौन्दी मुस्तहकम तक	280	8000	6000	20000	60000	55000	12000	11000
		31. रामपुर चुंगी से रामपुर मुस्तहकम की सीमा समाप्ति तक देहरादून रोड	-	22000	13500	34000	99000	66000	12000	11000
		31. क- मतलबपुर	-	8000	6000	20000	60000	55000	12000	11000
		32. मैन बाजार (नहर पुल से मछली बाजार तक) नहर पुल से बी० टी० गंज से मैन बाजार तक	-	31500	28350	43500	120000	107000	12000	11000

  
सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

- 5 -

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त स्टाम्प / कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार



तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	न्यूनतम दर (Base Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	सड़क से 200 मीटर की दूरी तक		
		33. मछली बाजार से रामपुर चुंगी तक	-	24000	21600	36000	120000	108000	12000	11000
		34. ईदगाह चौक से काशीपुरी- सुनहरा रोड नगर निगम की सीमा समाप्ति तक (माधोपुर सीमा तक )	-	18000	14200	30000	70000	61000	12000	11000
4	घ (रुड़की-लक्सर मार्ग)	35. ग्राम थाथौला से खेमपुर होते हुए तहसील रुड़की की सीमा समाप्ति तक।	65	4200	3600	16200	54000	30730	12000	11000
		36. लण्डौरा	-	13000	10500	25000	54000	48600	12000	11000
		37. नगला इमरती	135	9200	6900	21200	60000	40000	12000	11000
		38. डन्ढेरा	270	14000	12600	26000	61000	54000	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (खिलाफ)

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

35

तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों का नाम	सानान्य दर (Base Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	ड (पुहाना - गुरुकुल राजमार्ग)	39. लादपुर खुर्द की सीमा समाप्ति तक	110	5000	4500	17000	44000	39000	12000	11000
		40. कल्याणपुर उर्फ नारसन कलां की सीमा समाप्ति तक	70	4200	3780	16200	44000	39000	12000	11000
		41. कोटवाल आलमपुर से सढौली, शेरपुर खेलमउ, मखदूमपुर, रामनगर, लखनौता, टिकोला कलां	58	4200	3780	16200	60000	39000	12000	11000
		42. झबरेड़ा नगर पंचायत के बाहर	135	7500	6800	19500	60000	54000	12000	11000
		43. खाताखेडी से बेहडेकी सैदाबाद, हरचन्दपुर माजरा, खजूरी, ग्राम सुल्तानपुर साबतवाली की सीमा समाप्ति तक	50	2800	2400	14800	45000	34200	12000	11000
		44. पुहाना से किशनपुर जमालपुर, नन्हेडा अनन्तपुर से बन्दाखेडी तक	120	6800	6000	18800	55000	39000	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त एवं कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार



तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	सड़क से 200 मीटर की दूरी तक		
6	च (मंगलौर-झबरेडा मार्ग)	45. झबरेडा नगर पंचायत की सीमा बाहर	135	7500	6800	19500	60000	54000	12000	11000
		46. खानमपुर कसौली	60	2500	2000	14500	38000	31000	12000	11000
		47. लाठरदेवा हूण	70	4200	4000	16200	38000	34000	12000	11000
		48. कुरडी से गदरजुडडा	110	4400	4200	16400	44000	34000	12000	11000
7	छ (मंगलौर - देवबन्द मार्ग)	49. झबीरन से मुण्डेट, उदलहेडी, मन्नाखेडी, लहबोली होते हुए जठेडी सीमा समाप्ति तक।	45	2200	1800	14200	36000	31000	12000	11000
		50. कुरडी, लिब्बरहेडी	110	5000	4500	17000	40000	33000	12000	11000
		51. लखनौता	70	4600	4000	16600	48000	40000	12000	11000
		52. सुसाडी खुर्द व सुसाडी कलां	35	2200	1800	14200	35000	31000	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

37

तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ते (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	सड़क से 200 मीटर की दूरी तक		
8	ज (इकबालपुर से सलेमपुर लिंक मार्ग पर)	53. पाडली गन्दा से इकबालपुर कमेलपुर, होते हुए सरकडी ताहरपुर की सीमा समाप्ति तक।	35	1700	1400	13700	38000	34200	12000	11000
		54. खाताखेडी	50	2800	2400	14800	38000	34200	12000	11000
9	झ (इकबालपुर से आसफनगर गोदावरी होटल लिंक मार्ग)	55. लाठरदेवा शेख से नगला कुबडा, अकबरपुर फाजिलपुर होते हुए मकनपुर देवपुर की सीमा समाप्ति तक।	35	2300	1700	14300	35000	34000	12000	11000
		56. तांशीपुर व हथियाथल	50	3300	2900	15300	35000	31000	12000	11000
10	ज (सम्पर्क मार्ग गुरुकुल नारसन से)	57. जौरासी, सुन्धारी	35	2200	1900	14200	40000	35000	12000	11000
		58. शिकारपुर	65	4200	3700	16200	40000	35000	12000	11000

सब रजिस्ट्रार रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त रुड़की/कलक्टर स्टाम्प हरिद्वार (कृष्ण कुमार मिश्र) अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।



तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रू० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रू० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रू० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रू० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	सड़क से 200 मीटर की दूरी तक		
				दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)			
	मौ०पुर जट, लन्ढौरा, जौरासी हरिद्वार मार्ग)	59. लण्डौरा (रेलवे स्टेशन रोड)	-	8800	7000	20800	49500	44000	12000	11000
		60. मौहम्मदपुर जट से बुडपुर जट, ब्रहमपुर जट, ठोई, कगवाली, हरजोली जट, सिकन्दरपुर मवाल, मुण्डलाना, नकीबपुर उर्फ घोसीपुरा, भिक्कर घोसपुर, सिक्खर होते हुए गोपालपुर तक	35	2200	1800	14200	39000	32000	12000	11000

11	ट (रूड़की गंगनहर के बराबर से घनौरी बहादुराबाद मार्ग)	61. कमालपुर सैनीबांस से बिचपडी	160	3300	2900	15300	36000	32000	12000	11000
		62. दौलतपुर की सीमा समाप्ति तक	150	5000	4500	17000	55000	49000	12000	11000
		63. मुकर्रबपुर, घनौरी की सीमा समाप्ति तक	95	6000	3900	18000	55000	49000	12000	11000
		64. पिरान कलियर	-	7500	6500	19500	55000	49000	12000	11000

  
सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (दिल्ली)

- 10 -

  
सहायक आयुक्त रजिस्ट्रार/कलेक्टर रजिस्ट्रार  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

29

तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)						
				अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	सड़क से 200 मीटर की दूरी तक		
		65. मेहवड कला से सैदपुरा होते हुए बाजूहेडी	35	2200	2000	14200	37000	33000	12000	11000
12	ठ (राष्ट्रीय बाईपास राजमार्ग)	66. बेलडा अहतमाल से फिरोजपुर तक	190	8500	6800	20500	41000	37000	12000	11000
		67. जबरदस्तपुर से खटका, खटकी, भैंसरहेडी, डन्डेडी ख्वाजगीपुर होते हुए मौहम्मद अमीपुर उर्फ मल्हू मजरा की सीमा समाप्ति तक।	90	4200	3500	16200	38000	32000	12000	11000
		68. लण्ढौरा	-	8500	7000	20500	49000	44000	12000	11000
		69. मखियाली दुन्दी से पीरपुरा, बिझौली, भगवानपुर चन्दनपुर होते हुए नगला इमरती तक।	138	6500	5800	18500	43000	39000	12000	11000
13	ड (राष्ट्रीय राजमार्ग कोर)	70. फिरोजपुर से रहमतपुर अहतमाल व रहमतपुर मुस्तहकम, कोर्ट कलियर होते हुए महमूदपुर सीमा समाप्ति तक।	150	7500	6000	19500	41000	37000	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

शहायक आयुक्त रजिस्ट्रार/कलक्टर स्टाम्प हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



40

तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय		
	कालेज से कलियर बेडपुर, गुम्मावाला मार्ग )	71. पिरान कलियर-मुकर्रबपुर (नगर पंचायत सीमा बाहर)	120	7500	6500	19500	55000	49000	12000	11000
		72.अ. माजरी, गुम्मावाला होते हुए रांघडवाला सीमा समाप्ति तक।	65	2600	1700	14600	38000	34000	12000	11000
		72.ब. बेडपुर	100	5500	4500	17500	38000	34000	12000	11000

14	ढ (धनौरी से भगवान पुर मार्ग)	73. मोहनपुरा मजरा सालियर	70	4500	3500	16500	38000	34000	12000	11000
		74. इमलीखेडा धर्मपुर	70	2900	2300	14900	38500	34900	12000	11000
		75. बेडपुर	100	5500	4500	17500	38500	34000	12000	11000
		76. धनौरी, मुकर्रबपुर	120	5700	4900	17700	55000	49000	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प / कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)							
			कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / नम्बति (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक	सड़क से 200 मीटर की दूरी तक		
15	ण (झबरेडा - तेजपुर मार्ग)	77. खडखडी दयाला से होसंगपुर तक	30	1700	1400	13700	40000	35000	12000	11000
16	त (लण्डौरा से मंगलौर मार्ग)	78. लण्डौरा, मंगलौर	-	8500	6300	20500	45000	40000	12000	11000
		79. जैनपुर झंडोडी व भगवानपुर चन्दनपुर	90	5500	5000	17500	45000	36000	12000	11000
		80. कमौरा व फतेहउल्लापुर	80	2400	1800	14400	40700	33000	12000	11000
17	थ (लण्डौरा नगर पंचायत)	81. बस स्टैण्ड से लण्डौरा रोड पर	-	12000	10300	24000	77000	69000	12000	11000

*Raj*  
सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

*Kumar*  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार



42

तहसील रुड़की के प्रमुख मार्गों पर 200 मीटर की दूरी तक निर्धारित दरें

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)						
				अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
				सड़क से 50 मीटर की दूरी तक	50 मीटर से आगे 200 मीटर की दूरी तक		सड़क से 200 मीटर की दूरी तक			
				दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनट पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)			
18	द (झबरेडा नगर पंचायत)	82. सहारनपुर रोड	-	9000	7800	21000	70000	60000	12000	11000
		83. मंगलौर- झबरेडा मार्ग	-	9000	7800	21000	70000	60000	12000	11000
		84 पुहाना इकबालपुर नारसन मार्ग	-	9000	7800	21000	70000	60000	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त (कृषि) कलक्टर (कृषि) जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।

43

तहसील रुड़की नगर निगम के क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि/सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	क	1. जादूगर रोड	36000	48000	105600	89760	12000	11000
		2. सिविल लाइन्स मुख्य बाजार	36000	48000	133408	95000	12000	11000
		3. चौक बाजार	36000	48000	133408	95000	12000	11000
		4. सिविल लाईन	34000	46000	105600	89760	12000	11000
2.	ख	5. अनाज मंडी	23000	35000	100000	73870	12000	11000
		6. भागीरथी कुंज	23000	35000	86900	73870	12000	11000
		7. सुभाष गंज	23000	35000	100000	73870	12000	11000
		8. बी.टी.गंज	23000	35000	100000	73870	12000	11000
		9. पूर्वावली (गणेशपुर)	23000	35000	86900	73870	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाफ/कलक्टर स्टाफ  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



44

तहसील रुड़की नगर निगम के क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	क	10. महावीर एन्कलेव (गणेशपुर)	23000	35000	77000	72000	12000	11000
		11. गीतांजली विहार	23000	35000	77000	72000	12000	11000
		12. पुष्पांजली विहार (गणेशपुर)	23000	35000	77000	72000	12000	11000
		13. रामनगर	23000	35000	86900	73870	12000	11000
3.	ग	14. यादवपुरी	22000	34000	77000	71150	12000	11000
		15. मथुरा विहार कॉलोनी	22000	34000	77000	71150	12000	11000
		16. गंगा एन्कलेव	22000	34000	77000	71150	12000	11000
		17. गंगा एन्कलेव (शेखपुरी)	22000	34000	77000	71150	12000	11000
		18. आवास विकास कॉलोनी	22000	34000	77000	71150	12000	11000

R/S  
सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त (उदाय) / कलेक्टर रुड़की  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

45

तहसील रुड़की नगर निगम के क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि/सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	घ	19. शीलकुंज (मलकपुर लतीफपुर)	17000	29000	77000	69190	12000	11000
		20. आदर्शनगर (मलकपुर लतीफपुर)	21000	33000	77000	65390	12000	11000
		21. न्यू आदर्शनगर (मलकपुर लतीफपुर)	17000	29000	77000	69190	12000	11000
		22. मलकपुर लतीफपुर	17000	29000	77000	69190	12000	11000
		23. सोलानीपुरम (मलकपुर लतीफपुर)	17000	29000	77000	69190	12000	11000
5.	ङ	24. चावमंडी	18000	30000	80300	68260	12000	11000
		25. नेहरूनगर	18000	30000	80300	68260	12000	11000
		26. शिवम विहार (गणेशपुर)	18000	30000	80300	68260	12000	11000
		27. बैंक कालोनी (गणेशपुर)	18000	30000	80300	68260	12000	11000
		28. साकेत कालोनी	19000	31000	80300	68260	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार



तहसील रुड़की नगर निगम के क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन नें स्थित आवासीय फ्लैट (नुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (नुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		29. सैनिक कालोनी	19000	31000	80300	68260	12000	11000
6.	च	30. रामबाग कालोनी	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		31. दयालबाग कालोनी	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		32. चन्द्रपुरी	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		33. पठानपुरा	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		34. पूर्वी अम्बर तालाब	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		35. लालकुर्ती	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		36. कानूनगोयान	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		37. राजपूताना	18000	30000	79200	67320	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प / कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

तहसील रुड़की नगर निगम के क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि/सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		38. सोत (पूर्वी-पश्चिमी)	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		39. शेखपुरी भीतर नगर निगम	17000	29000	76560	65080	12000	11000
		40. हनुमान कालोनी	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		41. मकतूलपुरी	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		42. पूर्वी दीनदयाल	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		43. संजय कालोनी	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		44. प्रीत विहार कालोनी	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		45. स्टैट बैंक कालोनी	18000	30000	79200	67320	12000	11000
		46. आजाद नगर	18000	30000	76560	65080	12000	11000
		47. सुखदेव नगर	18000	30000	79200	67320	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



तहसील रुड़की नगर निगम के क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		48. गणेशपुर भीतर नगर निगम	18000	30000	79200	67320	12000	11000
7.	छ	49. पश्चिमी अम्बर तालाब	15000	27000	63800	54230	12000	11000
		50. काशीपुरी	13000	25000	63800	54230	12000	11000
		51. पुरानी तहसील	15000	27000	63800	54230	12000	11000
		52. गुलाब नगर	13000	25000	63800	54230	12000	11000
		53. श्यामनगर	13000	25000	63800	54230	12000	11000
		54. सलमान कालोनी (पुरानी तहसील)	13000	25000	63800	54230	12000	11000
8.	ज	55. गांधी नगर	11000	23000	61600	52360	12000	11000
		56. गांधीनगर कालोनी	11000	23000	61600	52360	12000	11000
		57. माहीग्रान	11000	23000	61600	52360	12000	11000
		58. सत्ती मोहल्ला	11000	23000	61600	52360	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प हरिद्वार।  
हरिद्वार

49

तहसील रुड़की नगर निगम के क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		59. भारतनगर	11000	23000	61600	52360	12000	11000
9.	झ	60. मलकपुर लतीफपुर भीतर नगर निगम (नदी पुल से बाद दाई तरफ)	8800	20800	56606	48120	12000	11000
		61. शफीपुर	8000	20000	58300	49000	12000	11000
		62. राजेन्द्रनगर	8000	20000	58300	49000	12000	11000
10.	ज	64. सुनहरा	8000	20000	44880	38150	12000	11000
		65. इन्द्रा विहार	8000	20000	44880	38150	12000	11000
		66. अम्बेडकर कालोनी	8000	20000	44880	38150	12000	11000
		67. सरस्वती विहार	8000	20000	44880	38150	12000	11000
		68. मंगल विहार	8000	20000	44880	38150	12000	11000
		69. नई बस्ती	8000	20000	44880	38150	12000	11000

- 21 -

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त (कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



50

तहसील रुड़की नगर निगम के क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि/सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुनर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		70. गोमती विहार	8000	20000	44880	38150	12000	11000
		71. शास्त्रीपुरम	8000	20000	44880	38150	12000	11000
		72. रामपुरम	8000	20000	44880	38150	12000	11000
		73. शेरपुर	6000	18000	41954	32000	12000	11000
		74. खंजरपुर	6500	18500	41954	32000	12000	11000
		75. सलेमपुर राजपूतान	6500	18500	41954	32000	12000	11000
		76. प्रेमनगर	6500	13500	41954	32000	12000	11000
		77. विनीत नगर	6500	13500	41954	32000	12000	11000
		78. हाईडिल कालोनी	6500	13500	41954	32000	12000	11000
		79. कृष्णानगर	6500	18500	41954	32000	12000	11000
		80. मतलबपुर	6000	18000	41954	32000	12000	11000

रु०  
सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

रु०  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

51

तहसील रुड़की नगर निगम के क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		81. शिवपुरम (रहीमपुर)	6500	18500	40370	32000	12000	11000
		82. मोहनपुरा मौहम्मदपुर	10000	22000	46590	38200	12000	11000
		83. हसन अलीपुर	10000	22000	46590	38200	12000	11000
		84. कर्नल एन्कलेव	10000	22000	46590	38200	12000	11000
		85. साउथ सिविल लाईन	10000	22000	46590	38200	12000	11000
		86. आकाशदीप एन्कलेव	10000	22000	46590	38200	12000	11000
		87. मंदाकनी विहार	10000	22000	46590	38200	12000	11000
		88. रतन का पूर्वा डबल फाटक	10000	22000	46590	38200	12000	11000
		89. गोलभट्टा	10000	22000	46590	38200	12000	11000
		90. आसफनगर	10000	22000	46590	38200	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टॉम्प / कलक्टर (अपर) जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



नगर पालिका मंगलौर की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र.स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों के नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमे / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1	क	1. मैन बाजार	9900	21900	49060	41701	12000	11000
2.	ख	2. टोली	6500	18500	40700	34595	12000	11000
		3. बन्दरटोल (प्रथम व द्वितीय)	6500	18500	40700	34595	12000	11000
		4. मौ०किला	6500	18500	40700	34595	12000	11000
3.	ग	5. सरावज्ञान	6500	18500	40700	34595	12000	11000
		6. ब्रहमनान	6500	18500	40700	34595	12000	11000
		7. मानक चौक	6500	18500	40700	34595	12000	11000
4.	घ	8. कायस्थान	6500	18500	40700	34595	12000	11000
		9. इसलामनगर	6500	18500	40700	34595	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

नगर पालिका मंगलौर की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र.स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों के नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
					दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	ड	10. लालबाडा	6000	18000	37065	34780	12000	11000
		11. कटहेडा	6000	18000	37065	34780	12000	11000
6.	च	12. हलका मजबता	5500	17500	35750	30388	12000	11000
		13. बाहर किला(प्रथम व षष्ठम)	5500	17500	35750	30388	12000	11000
		14. पठानपुरा (प्रथम व द्वितीय)	5500	17500	35750	30388	12000	11000
7.	छ	15. मलकपुरा	5500	17500	35750	30388	12000	11000
		16. पीरगढी	5500	17500	35750	30388	12000	11000
		17. मलानपुरा	5500	17500	35750	30388	12000	11000
8.	ज	18. सराव अजीज	5500	17500	35750	30388	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुइकी (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टॉक/कलेक्टर स्टॉक जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार


(कृष्ण कुमार मिश्र)

हरिद्वार।



नगर पालिका मंगलौर की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र.स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों के नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु०) प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
					दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		19. मिर्घगान	5500	17500	35750	30388	12000	11000
9.	झ	20. सैनीपुरा उर्फ मालियान	5500	17500	35750	30388	12000	11000
		21. खालसा	5500	17500	35750	30388	12000	11000
10.	ज	22. मंगलौर नगर पालिका	5500	17500	35750	30388	12000	11000

  
 सब रजिस्ट्रार  
 रुड़की (द्वितीय)

  
 सहायक आयुक्त स्टाम्प / कलक्टर स्टाम्प  
 हरिद्वार

  
 (कृष्ण कुमार मिश्र)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
 हरिद्वार।

55

नगर पंचायत झबरेडा की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र.स.	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों के नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
					दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	क	1. मैन बाजार	8500	20500	59070	50210	12000	11000
2.	ख	2. गंज व कुम्हारान	4800	16800	49280	41500	12000	11000
		3. नई मण्डी	4800	16800	49280	41500	12000	11000
		4. अम्बेडकर कालोनी	4800	16800	49280	41500	12000	11000
3.	ग	5. चौधरीयान	4500	16500	43450	36930	12000	11000
		6. तेलयान	4500	16500	43450	36930	12000	11000
4.	घ	7. छावनी	4200	16200	43120	36650	12000	11000
		8. धोबीयान	4200	16200	43120	36650	12000	11000
		9. शिव विहार	4200	16200	43120	36650	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



नगर पंचायत झबरेडा की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र.स.	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों के नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु०प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
					दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	ड़	10. हरिजनयान	4200	16200	43120	36650	12000	11000
		11. बंजारन	4100	16100	43010	36560	12000	11000
		12. गढी विहार	4100	16100	43010	36560	12000	11000
		13. लौहारान	4100	16100	43010	36560	12000	11000
		14. कुम्हारान व घेर	4100	16100	43010	36560	12000	11000
		15. खरास	4100	16100	43010	36560	12000	11000
		16. पुराना बाजार	4100	16100	43010	36560	12000	11000
6.	ड़	17. झबरेडा नगर पंचायत	4500	16500	39600	36900	12000	11000

*R/S*  
**सब रजिस्ट्रार**  
 रुड़की (द्वितीय)

*Kulhar*  
 सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
 हरिद्वार

*K*  
 (कृष्ण कुमार मिश्र)  
 जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
 हरिद्वार।

57

### टाउन एरिया लन्डौरा की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्रमस०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों के नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु०प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
					दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	क	1. चौक बाजार बाल्मीकी बस्ती	6000	18000	40700	34600	12000	11000
2.	ख	2. हरिजन बस्ती	4400	16400	37840	32160	12000	11000
		3. मातावाला हसनबाग	4400	16400	37840	32160	12000	11000
		4. पठानान	4400	16400	37840	32160	12000	11000
		5. अन्सारी मार्ग	4400	16400	37840	32160	12000	11000
		6. बाहर किला	4400	16400	37840	32160	12000	11000
		7. मौ०किला	4400	16400	37840	32160	12000	11000
		8. गुज्जरवाडा	4400	16400	37840	32160	12000	11000
		9. मिरासियान	4400	16400	37840	32160	12000	11000
		10. अम्बेडकर कालोनी	4400	16400	37840	32160	12000	11000
3.	ग	11. लण्डौरा टाउन एरिया	3200	15200	34320	30500	12000	11000

  
सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

  
सह टक आयुक्त स्टाम्प / कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार


  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



58

नगर पंचायत पिरान कलियर की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्र.स.	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों के नाम	सामान्य दर (Base Rate)					
			अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु०प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
					दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	क	1. पिरान कलियर	6500	18500	54860	46630	12000	11000
2.	ख	2. महमूदपुर	2400	14400	36300	26500	12000	11000
		3. मुकर्रबपुर	2400	14400	36300	26500	12000	11000
3.	ग	4. बेडपुर	1900	13900	36380	26500	12000	11000

  
सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

- 30 -

  
सहायक आयुक्त/सहायक कलेक्टर/सहायक जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
हरिद्वार।

परगना रुड़की के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों के नाम	सामान्य दर (Base Rate)						
			कृषि भूमि (प्रति हे०) (रु० लाख में)	अनृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्गमी०)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	क	1. रामपुर मुस्तहकम	120	8800	20800	48400	41140	12000	11000
		2. पाडली गुज्जर	120	6000	18000	41954	32000	12000	11000
		3. तल्हेडी	120	10000	22000	46310	37970	12000	11000
2.	ख	4. ढण्डेरा	120	8500	20500	36850	30220	12000	11000
		5. अशोक नगर (ढण्डेरा)	120	8500	20500	36850	30220	12000	11000
		6. कीर्तिनगर (ढण्डेरा)	120	8500	20500	36850	30220	12000	11000
		7. विजयनगर (ढण्डेरा)	120	8500	20500	36850	30220	12000	11000
		8. आदर्श शिवाजी नगर (ढण्डेरा)	120	8500	20500	36850	30220	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त सहायक/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



(60)

परगना रुड़की के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों के नाम	सामान्य दर (Base Rate)						
			कृषि भूमि (प्रति हे०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्गमी०)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9. राजविहार (ढण्डेरा)	120	8500	20500	36850	30220	12000	11000
		10. देव एन्कलेव (ढण्डेरा)	120	8500	20500	36850	30220	12000	11000
		11. डिफैन्स कालोनी (ढण्डेरा)	120	8500	20500	36850	30220	12000	11000
		12. मिलाप नगर (ढण्डेरा)	120	8500	20500	36830	30100	12000	11000
		13. प्रदीप विहार	120	8500	20500	36830	30100	12000	11000
		14. नागेन्द्र विहार	120	8500	20500	36830	30100	12000	11000
		15. आर्य विहार	120	8500	20500	36830	30100	12000	11000
		16. सुभाषनगर	120	8500	20500	36830	30100	12000	11000
		17. अशोक विहार	120	8500	20500	36830	30100	12000	11000
		18. दर्पण कालोनी	120	8500	20500	36830	30100	12000	11000

- 32 -

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त रजिस्ट्रार/कलक्टर रुड़की  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

(6)

3.	ग	19. शान्तरशाह	120	7500	19500	36790	30170	12000	11000
		20. बढेडी राजपूतान	120	7500	19500	36790	30170	12000	11000
4.	घ	21. पंचायनपुर	95	7000	19000	36850	30220	12000	11000
		22. बहादरपुर सैनी	95	7000	19000	36850	30220	12000	11000
		23. बावली कलंजरी	100	7000	19000	36850	30220	12000	11000
		24. ब्रहमपुर	120	7000	19000	36850	30220	12000	11000
5.	ड.	25. नगला इमरती	95	5600	17600	35090	28780	12000	11000
		26. बिझौली	100	5600	17600	35090	28780	12000	11000
		27. बेलडा अहतमाल	100	5600	17600	35090	28780	12000	11000
		28. टोडा कल्याणपुर मु०	85	4500	16500	35090	28780	12000	11000
		29. बंधेडी महावतपुर मु०	85	4500	16500	35090	28780	12000	11000
		30. जलालपुर मु०	85	4500	16500	35090	28780	12000	11000
		31. बेलडा मुस्तहकम	100	5500	17500	34980	28680	12000	11000
		32. बेलड़ी साल्हापुर	100	5500	17500	34980	28680	12000	11000
		33. फिरोजपुर	100	5500	17500	34980	28680	12000	11000
6.	च	34. कान्हापुर मुस्तहकम	70	4500	16500	35090	28780	12000	11000
		35. भारापुर मु०	80	4500	16500	35090	28780	12000	11000

*Rueg*  
सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

*Kumar*  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



62

		36. भौरी	80	4500	16500	35090	28780	12000	11000
6.	छ	37. केलनपुर	80	3400	15400	35090	28780	12000	11000
		38. गोविन्दपुर वाजिदपुर	80	3400	15400	35090	28780	12000	11000
		39. हलवाहेडी	80	3200	15200	35090	28780	12000	11000
		40. रहमतपुर मुस्तकहम	80	3700	15700	34815	28550	12000	11000
		41. दौलतपुर	80	3300	15300	34980	28680	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

- 34 -

सहायक आयुक्त स्टांप / बलियेटर स्टांप  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

परगना मंगलौर के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)					
				अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्गमी०)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	क	1. लादपुर खुर्द	44.00	4800	16800	33260	27280	12000	11000
		2. खानपुर	44.00	4800	16800	33260	27280	12000	11000
		3. जैनपुर झंझेडी	48.00	4800	16800	33810	27730	12000	11000
		4. मंगलौर बाहर नगरपालिका	63.00	4800	16800	34320	28140	12000	11000
2.	ख	5. झबरेडी कलां	39.00	4400	16400	38180	31000	12000	11000
		6. झबरेडा बाहर नगर पंचायत	39.00	4400	16400	38180	31000	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प / कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
आम्र जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	ग	7. मखियाली दुन्दी	52.00	4500	16500	30280	24830	12000	11000
		8. नारसन खुर्द	47.00	4000	16000	29730	24900	12000	11000
		9. कुरडी	47.00	4000	16000	29730	24900	12000	11000
		10. लिब्वरहेडी	47.00	4000	16000	29730	24900	12000	11000
		11. मंडावली	47.00	4000	16000	29730	24900	12000	11000
4.	घ	12. दहियाकी	42.00	3800	15800	30120	21500	12000	11000
		13. मुंडियाकी	42.00	3800	15800	30120	21500	12000	11000
		14. कुआंहेडी	42.00	3800	15800	30120	21500	12000	11000
		15. शिमलौनी	56.00	3800	15800	30120	21500	12000	11000
5	ड	16. कल्याणपुर उर्फ नारसन कलां	44.00	3300	15300	25960	21280	12000	11000
		17. कुलचन्दी	44.00	3300	15300	25960	21280	12000	11000
		18. लखनौता	40.00	3300	15300	25960	21280	12000	11000
		19. रामनगर	30.00	2800	14800	28040	22900	12000	11000
6.	च	20. शिकारपुर	40.00	2600	14600	26580	21700	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
आयुक्त जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

65

	21. थाथौला	38.00	2600	14600	26580	21700	12000	11000
	22. भगवानपुर चन्दनपुर	40.00	2600	14600	26580	21700	12000	11000
	23. पीरपुरा	40.00	2600	14600	26580	21700	12000	11000
	24. कोटवाल आलमपुर	36.00	2600	14600	26580	21700	12000	11000
	25. शेरपुर खेलमउ	36.00	2600	14600	26580	21700	12000	11000
	26. लाठरदेवा हूण	36.00	2600	14600	26580	21700	12000	11000
	27. गदरजुडडा	40.00	2600	14600	26580	21700	12000	11000
	28. खुण्डी	36.00	2600	14600	26580	21700	12000	11000
	29. थीथकी कवादपुर	36.00	2600	14600	26580	21700	12000	11000
	30. खेडाजट	30.00	2600	14600	26580	21700	12000	11000
	31. सकौती	30.00	2600	14600	26580	21700	12000	11000

R/S  
सब रजिस्ट्रार  
रुइकी (द्वितीय)

- 37 -

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



66

तहसील रुड़की परगना भगवानपुर के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर छोड़कर)

क्र.	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०) (रू० लाख मं)	सामान्य दर (Base Rate)					
				अकृषि भूमि/सम्पत्ति (रू० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रू० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रू० प्रति वर्ग मीटर)	गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रू० प्रति वर्गमी०)	दुकान/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	क	1. पुहाना	50.00	4200	16200	43780	32500	12000	11000
		2. बन्दाखेडी	50.00	4200	16200	43780	32500	12000	11000
		3. करौन्दी	48.00	4000	16000	44000	32000	12000	11000
		4. इब्राहिमपुर देह	50.00	4000	16000	44000	32000	12000	11000
2	ख	5. सालियर साल्हापुर मुस्तहकम	48.00	3900	15900	43450	31500	12000	11000
		6. किशनपुर जमालपुर	48.00	3900	15900	43450	31500	12000	11000
		7. नल्हेडी देहविरान	52.00	3900	15900	43450	31500	12000	11000
		8. माधोपुर हजरतपुर	47.00	3900	15900	43450	31500	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त (कृषि/कलक्टर) हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अग्रजिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

(67)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		9. रहीमपुर	48.00	3600	15600	40140	31500	12000	11000
		10. पनियाला चन्दापुर	50.00	3400	15400	33970	27860	12000	11000
3	ग	11. नन्हेडा अनन्तपुर	44.00	2800	14800	28150	23080	12000	11000
		12. तांशीपुर	30.00	2400	14400	28820	23630	12000	11000
		13. हथियाथल	30.00	2400	14400	28820	23630	12000	11000

*Raj*  
सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

- 39 -

*K. K. Mishra*  
सहायक आयुक्त स्टांप कलेक्टर स्टांप (कृष्ण कुमार मिश्र)  
हरिद्वार अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



परगना रुड़की के ग्रामीण क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र. सं०	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि भूमि (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि/सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	सामान्य दर (Base Rate)				
					बहुनंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्गमी०)	
						दुकान/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	क	1. धनौरी	37.00	3500	15500	43990	34310	12000	11000
		2. पिरान कलियर	80.00	4600	16600	43990	34310	12000	11000
2.	ख	3. रहमतपुर अहतमाल	48.00	2800	14800	27330	21320	12000	11000
		4. कोट कलियर चक-1	42.00	2800	14800	27330	21320	12000	11000
		5. कोट कलियर चक-2	42.00	2800	14800	27330	21320	12000	11000
3.	ग	6. रामपुर जदीद मुस्तकहम	25.00	3500	15500	32630	25450	12000	11000
4.	घ	7. भैंसरहेड़ी मुस्तकहम	44.00	2300	14300	27390	21360	12000	11000
5	ड.	8. बिचपड़ी	45.00	1900	13900	27440	21400	12000	11000
		9. डन्डेड़ी ख्वाजगीपुर	44.00	1900	13900	27440	21400	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त सहायक कलेक्टर सहायक जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।  
(कृष्ण कुमार मिश्र)

(69)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	च	10. कमालपुर सैनीबांस	38.00	2100	14100	27330	21320	12000	11000
		11. जबरदस्तपुर	33.00	1900	13900	27330	21320	12000	11000
		12. खटका मुस्तकहम	33.00	1900	13900	27330	21320	12000	11000
		13. मीरपुर सिकन्दरपुर	33.00	2100	14100	27330	21320	12000	11000
		14. मरगूबपुर दीदाहेड़ी	33.00	1900	13900	27330	21320	12000	11000
		15. रतनपुर	33.00	1900	13900	27330	21320	12000	11000
		16. मिर्जापुर मुस्तफाबाद मु०	33.00	1900	13900	27330	21320	12000	11000
		17. मूलदासपुर उर्फ माजरा	33.00	2100	14100	27330	21320	12000	11000
		18. जमालपुर	33.00	2100	14100	27330	21320	12000	11000
		19. जौरासी मुस्तहकम	33.00	2000	14000	27330	21320	12000	11000
		20. इमलीखेड़ा धर्मपुर	37.00	1900	13900	27550	21490	12000	11000
7.	छ	21. मेहवड कलां	28.00	1900	13900	32890	25500	12000	11000
		22. गुम्मावाला	28.00	1900	13900	32780	25500	12000	11000
		23. मुकर्रबपुर	80.00	2000	14000	32780	25500	12000	11000
		24. बेडपुर	60.00	1600	13600	32780	25500	12000	11000
		25. महमूदपुर	34.00	2100	14100	32780	25500	12000	11000

- 41 -

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

राज्यायक आयुक्त/कलेक्टर स्टाम्प अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
हरिद्वार।



70

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		26. मेहवड खुर्द उर्फ नागल	28.00	1800	13800	32780	25500	12000	11000
		27. रांघडवाला	28.00	1800	13800	32650	25400	12000	11000
		28. माजरी	28.00	1800	13800	32650	25400	12000	11000
		29. मोहनपुर मजरा सालियर	28.00	1800	13800	32650	25400	12000	11000
		30. बाजूहेडी	28.00	1800	13800	32650	25400	12000	11000
		31. सोहलपुर मजरा बेलडा	28.00	1800	13800	32650	25400	12000	11000
		32. सैदपुरा	28.00	1800	13800	32650	25400	12000	11000
		33. गोपालपुर	28.00	1800	13800	32650	25400	12000	11000
		34. सुन्धारी	28.00	1900	13900	32520	24900	12000	11000
		35. उल्हेडी	28.00	1800	13800	32520	24900	12000	11000
		36. खटकी	28.00	1800	13800	32520	24900	12000	11000
		37. मौ0अमीपुर उर्फ मल्हू मजरा मु0	28.00	1800	13800	32520	24900	12000	11000
		38. कान्हापुर अहतमाल	28.00	1800	13800	32520	24900	12000	11000
		39. अकबरपुर मु0व जदीद मु0	28.00	1800	13800	32520	24900	12000	11000
		40. टोडा कल्याणपुर अहतमाल	29.00	1800	13800	32740	24900	12000	11000

- 42 -

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

71

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		41. बंधेडी महावतपुर अहतमाल	29.00	1800	13800	32740	24900	12000	11000
		42. जलालपुर अहतमाल	28.00	1800	13800	32520	24900	12000	11000
		43. जौरासी अहतमाल	28.00	1800	13800	32520	24800	12000	11000
		44. खटका अहतमाल	28.00	1800	13800	32520	24800	12000	11000
		45 भारापुर जदीद मुस्तहकम	28.00	1800	13800	32520	24800	12000	11000
8	ज	46. भौरी जदीद मुस्तहकम	22.00	1800	13800	32520	24800	12000	11000
		47. डन्डेडी ख्वाजगीपुर जदीद मुस्तहकम	22.00	1800	13800	32520	24800	12000	11000
		48. मिर्जापुर मुस्तफाबाद जदीद मुस्तहकम	22.00	1800	13800	32520	24800	12000	11000
		49. भैंसरहेडी अहतमाल	22.00	1800	13800	32520	24800	12000	11000
		50. मौहम्मदपुर पान्डा	22.00	1800	13800	32520	24800	12000	11000
		51. मौ0अमीपुर उर्फ मल्हू मजरा अहतमाल	22.00	1900	13900	32520	24800	12000	11000
9	झ	52. अब्बुल हसनपुर	16.00	1300	13300	28080	22500	12000	11000
		53. अलमासपुर	16.00	1300	13300	28080	22500	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुइकी (द्वितीय)

- 43 -

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



72

परगना मंगलौर के ग्रामीण क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्रम सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लों / राजस्व ग्रामों का नाम	कृषि दर (प्रति है०) (रु० लाख में)	सामान्य दर (Base Rate)					
				अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्गमी०)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	क	1. कमोरा	23.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		2. फतेउल्लापुर	23.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		3. मन्नाखेडी	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		4. झबीरन	23.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		5. मुन्डे	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		6. लहबोली	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		7. जटहेडी	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		8. उदलहेडी	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		9. बरमपुर	23.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		10. बुडपुर जट	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

राहायक आयुक्त स्टाम्प / क्लर्क स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		11. मौहम्मदपुर जट	23.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		12. कगवाली	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		13. हरजौली जट	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		14. सिकन्दरपुर मवाल	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		15. मुण्डलाना	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		16. सुसाडी खुर्द	23.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		17. सुसाडी कलां	23.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		18. रसूलपुर निठारीं	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		19. जैतपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		20. उल्हेडी	23.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		21. उल्हेडा	23.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		22. मखदूमपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		23. सढौली	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		24. टिकौला कलां	23.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		25. खानमपुर कसौली	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

- 45 -

सहायक आयुक्त  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		26. कासमपुर खुर्द	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		27. माहपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		28. चक बरमपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		29. हरचन्दपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		30. कवादपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		31. सुसाडा	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		32. बुडपुर चौहान	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		33. नूरपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		34. हशामपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		35. शीतलपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		36. कुमराडा	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		37. कुमराडी	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		38. बसवाखेडी	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		39. गजरौला	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		40. बन्हेडा टांडा	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		41. नाथूखेडी	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000

Raj  
सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

(75)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		42. आमखेडी	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		43. खेमपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		44. नगला चीना	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		45. नसीरपुर अफजलपुर	23.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		46. सढौला	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		47. राजपुर मुस्तफाबाद उर्फ गाधारोना	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		48. नगला ऐमाद	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		49. नगला सिकन्दर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		50. नगला कोयल	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		51. नगला सलारु	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		52. नगला सकटू	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		53. नाहरपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		54. निजामपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		55. रायपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		56. सैदपुरा	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		57. शेखपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000

- 47 -

रुठ  
सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त/स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		58. ठसका	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		59. अकबरपुर ढाढेकी	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		60. नारायणपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		61. सलारपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		62. टिकोला खुर्द	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		63. हज्जरपुर मुस्तहकम	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
2.	ख	64. भिक्खर घोसपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		65. गोपालपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		66. नकीबपुर उर्फ घोसीपुरा	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		67. सिक्खर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		68. ठोई	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		69. अबुल हसनपुर उर्फ घिसरपडी	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		70. बुक्कनपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		71. मुकीमपुर	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		72. हज्जरपुर अहतमाल	22.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000
		73. भगतोवाली मजरा झबरेडा	23.00	1500	13500	30090	23470	12000	11000

  
 सब रजिस्ट्रार  
 रुइकी (द्वितीय)

  
 सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
 हरिद्वार

  
 (कृष्ण कुमार मिश्र)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
 हरिद्वार।

२७

तहसील रुड़की परगना भगवानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्रम.सं०	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लों/ राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लों/राजस्व ग्रामों का नाम	सामान्य दर (Base Rate)						
			कृषि दर (प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्गमी०)	
						दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	क	1.खाताखेडी	22.00	2200	14200	32340	25230	12000	11000
		2. शाहपुर साल्हापुर	21.00	1900	13900	33220	25910	12000	11000
		3. डेलना	21.00	1900	13900	33220	25910	12000	11000
2.	ख	4. इकबालपुर कमेलपुर	16.00	1350	13350	33660	26250	12000	11000
		5. पाडली गन्दा	17.00	1300	13300	33660	26250	12000	11000
		6. सरकडी ताहरपुर	16.00	1300	13300	33660	26250	12000	11000
		7. सुल्तानपुर साबतवाली	16.00	1300	13300	33660	26250	12000	11000
		8. खडखडी दयाला	17.00	1300	13300	33660	26250	12000	11000
		9. होसंगपुर	16.00	1300	13300	33660	26250	12000	11000

- 49 -

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त (कृषि) / क्लर्क / क्लर्क (रिजिस्ट्रार)  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		10. हरजोली झोझा	17.00	1300	13300	33660	26250	12000	11000
		11. बहिस्तीपुर	16.00	1300	13300	33660	26250	12000	11000
		12. साल्हापुर	16.00	1300	13300	33660	26250	12000	11000
		13. अहमदपुर सरवारेकी	16.00	1300	13300	33660	26250	12000	11000
		14. झबरेडी खुर्द	17.00	1350	13350	33660	26250	12000	11000
		15. अकबरपुर झोझा	16.00	1300	13300	33660	26250	12000	11000
		16. बलेलपुर मजरा हरजोली झोझा	16.00	1300	13300	33660	26250	12000	11000
		17. कवादपुर लोदीवाला	16.00	1350	13350	33660	26250	12000	11000
		18. रसूलपुर	19.00	1450	13450	33660	26250	12000	11000
		19. बलेलपुर मजरा पनियाला चन्दापुर	16.00	1350	13350	33660	26250	12000	11000
		20. लाठरदेवा शेख	19.00	1350	13350	33660	26250	12000	11000
		21. समसपुर खुन्डेवाली	19.00	1250	13250	29150	25350	12000	11000
		22. हीराहेडी	18.00	1250	13250	33730	26310	12000	11000
3.	ग	23. नगला कुबडा	14.00	1350	13350	33640	26240	12000	11000
		24. मकनपुर देवपुर	13.00	1350	13350	33640	26240	12000	11000

- 50 -

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		25. अकबरपुर फाजिलपुर	14.00	1350	13350	33640	26240	12000	11000
		26. सोहलपुर गाडा	14.00	1350	13350	33640	26240	12000	11000
		27. सफरपुर	13.00	1350	13350	33640	26240	12000	11000
		28. महमूदपुर	13.00	1350	13350	33640	26240	12000	11000
		29. नजूमपुर पनियाली	13.00	1350	13350	33640	26240	12000	11000
		30. नौबतपुर मूलेवाला	13.00	1350	13350	33640	26240	12000	11000
		31. धर्मपुर	13.00	1350	13350	33640	26240	12000	11000
4.	घ	32. करौन्दी जदीद	10.00	1300	13300	33610	26210	12000	11000
		33. सालियर साल्हापुर जदीद मु0	10.00	1300	13300	33610	26210	12000	11000
		34. किशनपुर जमालपुर जदीद मु0	10.00	1300	13300	33610	26210	12000	11000
		35. पुहाना जदीद मु0	10.00	1300	13300	33610	26210	12000	11000

- 51 -

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
आम जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



## :सामान्य अनुदेशिका:

(यह मूल्यांकन सूची का भाग है)

(A)	कृषि/अकृषि भूमि/बहुमंजिला आवासीय भवन/फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन/दुकान/प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी सामान्य निर्देश:-
1-	यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है किन्तु यदि-
	(क)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 05 मी0 या अधिक व 12 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
	(ख)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 12 मी0 या अधिक व 15 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
	(ग)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 15 मी0 या अधिक व 18 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या
	(घ)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
2-	वाणिज्यिक परिसर में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
3-	शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढियों (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीयतल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

राजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त/स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

4-	ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित है, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 गुना दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
5-	व्यवसायिक सम्पत्ति के अन्तरण विलेख पर सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत जोड़ कर आंकलित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी। परन्तु एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि शॉपिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं है, में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से होगा।
6-	1000 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी, परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7-	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
8-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पडने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख/मुख्य मार्गों के दोनों ओर की 100 मीटर दूरी तक प्रमुख/मुख्य मार्गों हेतु निर्धारित दरें लागू होंगी।
9-	कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 गुना होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।
10-	किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
11-	बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त/कलक्टर/असिस्टेंट कमिश्नर  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



12-	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक/गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकृता प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त विलेख में भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्रफल अंकित किये जाने के साथ भवन का स्वीकृत मानचित्र/मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र लगाया जाना तथा निर्माण की श्रेणी के संबंध में श्रेणी लिन्टरपोश, टीनपोश अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। औद्योगिक निर्माण पर टीनपोश निर्माण की दरें प्रभावी होंगी।
13-	फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ फ्लैट एक्ट 1975 के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
14-	भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख कराना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मोहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
15-	वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई हास मूल्य देय नहीं होगा।
16-	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य हास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
17-	बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर `1,000/-प्रति रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
18-	भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन ` 22,000/-प्रति की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
19-	टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
20-	किसी भी औद्योगिक ईकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्रूब्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
21-	जिन क्षेत्रों में कृषि दर प्राविधानित नहीं है, उन क्षेत्रों में कृषि भूमि अंतरित होने की दशा में क्षेत्र विशेष हेतु रुपये प्रति वर्गमीटर में निर्धारित अकृषि दर के आधे अर्थात् 50 प्रतिशत कम दर के अनुसार कृषि भूमि का मूल्यांकन किया जायेगा।

रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

(B)	विलेखों में निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा:-
	(क)-किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
	(ख)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के संबंध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(ग)-विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
	(घ)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1-दुकान 2-रेस्टोरेन्ट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(ङ)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/ बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(च)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़को/मार्ग-मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(छ)-मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।
	(ज)-पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ विलेख के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा जो कि विलेख का भाग होगा।
(C)	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम निर्धारित दर प्रभावी होगी।
1-	
2-	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल (जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जायेगा) हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
3-	निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्संबंधी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

सब रजिस्ट्रार  
रुड़की (द्वितीय)

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार


(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।




84

### क्षरण सारणी

1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.429
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366


  
 सब रजिस्ट्रार  
 रुहकी (द्वितीय)

  
 सहायक आयुक्त स्टाफ कलेक्टर स्टाफ पर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
 हरिद्वार

  
 (कृष्ण कुमार मिश्र)  
 हरिद्वार।

# जनपद हरिद्वार

उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन (संशोधन) नियमावली, 2015 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञापः-17/2020/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 वित्त अनुभाग-9 देहरादून, दिनांकः-12 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार के प्रमुख मार्ग, नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि एवं भवनों के अन्तरण हेतु पुनरीक्षित न्यूनतम सर्किल दरें संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित की जाती है, जो दिनांक 13 जनवरी 2020 से प्रभावी होगी।


  
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
आई0ए0एस0  
कलेक्टर, हरिद्वार।

## कार्यालय कलेक्टर हरिद्वार।

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- जिला निबंधक हरिद्वार।
- 5- जिला स्टाम्प अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।
- 6- सहायक महानिरीक्षक निबंधन हरिद्वार।
- 7- सब रजिस्ट्रार हरिद्वार-I/II, रुड़की-I/II/III एवं लक्सर।
- 8- तहसीलदार, हरिद्वार/रुड़की/भगवानपुर एवं लक्सर।

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

  
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
आई0ए0एस0  
कलेक्टर, हरिद्वार।



85

तहसील भगवानपुर के प्रमुख मार्गों पर 200 मी० की दूरी तक निर्धारित दरें

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)							
			कृषि भूमि (प्रति है०रु० लाख में)	अकृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
							दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	(क) देहरादून राष्ट्रीय राजमार्ग पर	1. कांजीबास मुस्तहकम	180.00	7500	5800	19500	52500	47250	12000	11000
		2. मंडावर	180.00	7500	5800	19500	52500	47250	12000	11000
		3. चौल्ली शाहबुदीनपुर मुस्तहकम	180.00	7500	5800	19500	52500	47250	12000	11000
		4. लकेशरी	180.00	7500	5800	19500	52500	47250	12000	11000
		5. लतीफपुर खुब्बनपुर	180.00	7500	5800	19500	52500	47250	12000	11000
		6. सिकन्दरपुर भैसंवाल	180.00	7500	5800	19500	52500	47250	12000	11000
		7. रायपुर	180.00	7500	5800	19500	52500	47250	12000	11000
		8. मक्खनपुर महमूद आलमपुर	-	8800	6500	20800	56400	50760	12000	11000
		9. शाहपुर मुस्तहकम	-	13000	11500	25000	69000	62100	12000	11000
		10. भगवानपुर मुहस्तकम	-	14000	13000	26000	72000	64800	12000	11000
		11. खानपुर	-	7100	5400	19100	51300	46170	12000	11000
		12. लोदीवाला व औरंगजेबपुर तहसील सीमा की समाप्ति तक	140.00	4300	3800	16300	42900	38610	12000	11000
2	(ख) पुहाना इकबालपुर गुरुकुल नारसन रोड़	1. बेहेडेकी सैदाबाद, अमरपुर काजी, हरचन्दपुर माजरा, खजूरी सीमा समाप्ति तक	62.00	2800	2400	14800	38400	34560	12000	11000
3	(ग) भगवानपुर- बहादुराबाद हरिद्वार मार्ग	1. भगवानपुर जदीद मु०	71.00	3300	2400	15300	39900	35910	12000	11000

उप-निबंधक  
रुड़की (तृतीय)  
तहसील भगवानपुर

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
1 हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रातस्व),  
हरिद्वार

		2.बहावपुर छांगामजरी से कलालहटी, हकीमपुर तुरा होते हुए दरियापुर दयालपुर तहसील की सीमा तक	45.00	2100	1600	14100	36300	32670	12000	11000
4	(घ) कलियर बिहारीगढ रोड	1.झिडियान ग्रन्ट से लामग्रन्ट होते हुए मजाहिदपुर सत्तीवाला खालसा, लालवाला खालसा सीमा समाप्ति तक	38.00	1600	1500	13600	34800	31320	12000	11000
5	(ड) बिहारीगढ-बुग्गावाला हरिद्वार रोड	1.फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा, दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद, नौकराग्रन्ट से आगे नदी पार लालवाला मजबता	63.00	3000	2100	15000	39000	35100	12000	11000
		2.मजाहिदपुर सत्तीवाला मजबता	38.00	1600	1300	13600	34800	31320	12000	11000
6	(च) भगवानपुर- गागलहेडी मार्ग	1.शाहपुर मुस्तहकम (नगर पंचायत के बाहर)	180.00	13000	11500	25000	69000	62100	12000	11000
		2.मक्खनपुर महमूद आलम मुस्तहकम	70.00	7500	6000	19000	50000	43000	12000	11000
		3.रायपुर व सिकन्दरपुर भैंसवाल	75.00	6000	4200	18000	50000	40000	12000	11000
		4.बढेडी बुजुर्ग	30.00	2000	1500	14700	38000	32000	12000	11000
7	(छ) भगवानपुर- चुडियाला मार्ग	1.शाहपुर मुस्तहकम (नगर पंचायत सीमा के बाहर)	180.00	13000	11500	25000	69000	62100	12000	11000
		2.खेलपुर नसरुल्लापुर	75.00	3800	3500	15800	41400	37260	12000	11000
		3.शेरपुर से चुडियाला मोहनपुर, महेशरी होते हुए बिनारसी उर्फ बुलेड सीमा समाप्ति तक	30.00	1600	1300	13600	34800	32700	12000	11000
		4.तेजपुर	45.00	2600	2400	14600	37800	34020	12000	11000
		5.फक्करहेडी से भलस्वागाज होते हुए मानकपुर आदमपुर सीमा समाप्ति	45.00	2100	1500	14100	36300	32670	12000	11000
8	(ज) भगवानपुर- सिकरोडा मार्ग	1.शाहपुर जदीद मुस्तहकम	75.00	3600	2500	15600	40800	34700	12000	11000
		2 अकबरपुर कालसो	25.00	1800	1400	13800	35000	30000	12000	11000

उप-निबन्धक  
रुड़की (तृतीय)  
तहसील भगवानपुर

सहायक आयुक्त स्टांम्प/कलेक्टर स्टांम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रातस्व),  
हरिद्वार




87

## नगर पंचायत भगवानपुर की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मीटर की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)					
			अकृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
					दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	(क)	1. खानपुर	4800	16800	37000	33000	12000	11000
2	(ख)	1. मक्खनपुर महमूद आलम जदीद मुस्तहकम	2400	15000	37000	31000	12000	11000
3	(ग)	1. मक्खनपुर महमूद आलम मुस्तहकम	5000	16500	45000	37000	12000	11000
4	(घ)	1. भगवानपुर जदीद मुस्तहकम	3100	15500	39000	34800	12000	11000
		2. शाहपुर जदीद मुस्तहकम	3100	15500	39000	344800	12000	11000
5	(ड)	1. शाहपुर मुस्तहकम	9600	22500	65500	52500	12000	11000
6	(च)	1. भगवानपुर मुस्तहकम	12000	24000	65500	55000	12000	11000
7	(छ)	1. भगवानपुर मैन बाजार (नई रोड) इमली रोड	13000	25000	69000	62100	12000	11000

  
 उप-निबन्धक  
 रुड़की (तृतीय)  
 तहसील भगवानपुर

3

  
 (कृष्ण कुमार मिश्र)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रातस्व),  
 हरिद्वार  
 सहायक आयुक्त/स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
 हरिद्वार

तहसील भगवानपुर के अर्द्धनगरीय क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मी० की दूरी छोड़कर)

88

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति है०रु० लाख में)	अकृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	(क)	1. बेहड़ेकी सैदाबाद	32.00	2200	14000	36500	31000	12000	11000
		2. मंडावर	50.00	3400	16000	40000	34000	12000	11000
		3. औरंगजेबपुर	50.00	3400	16000	40000	34000	12000	11000
		4. सिसौना मुस्तहकम	50.00	3400	16000	40000	34000	12000	11000
		5. छाम्पुर शेर अफगनपुर	50.00	3400	16000	40000	34000	12000	11000
		6. खेलपुर नसरुल्लापुर	50.00	3400	16000	40000	34000	12000	11000
		7. लाव्वा मुस्तहकम	50.00	3400	16000	40000	34000	12000	11000
		8. चौल्ली शाहबुदीनपुर मु०	63.00	4800	18000	45000	38000	12000	11000
		9. लकेशरी	63.00	4800	18000	45000	38000	12000	11000
		10. लतीफपुर खुब्बनपुर	63.00	4800	18000	45000	38000	12000	11000
		11. सिकन्दरपुर भैसवाल	63.00	4800	18000	45000	38000	12000	11000
		12. रायपुर	63.00	4800	18000	45000	38000	12000	11000

उप-निबन्धक  
रुड़की (तृतीय)  
तहसील भगवानपुर

सहायक आयुक्त स्टम्प/कलक्टर स्टम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रातस्व),  
हरिद्वार



89

तहसील भगवानपुर के ग्रामीण क्षेत्रों की दरें (प्रमुख मार्ग से 200 मी० की दूरी छोड़कर)

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति है०रु० लाख में)	अकृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर ऐरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	A	1.सिसौना जदीद मु०	30.00	2200	13000	34000	28100	12000	11000
		2.भगवानपुर जदीद मु०	30.00	2200	13000	34000	28100	12000	11000
		3.शाहपुर जदीद मु०	30.00	2200	13000	34000	28100	12000	11000
2	B	4.चुडियाला मोहनपुर	24.00	1400	12200	28600	25000	12000	11000
		5.कांजीबास मु०	30.00	1800	12300	29500	25400	12000	11000
		6.लोदीवाला	30.00	2000	12300	29500	25400	12000	11000
		7.तेज्जूपूर	30.00	2500	13000	34000	28100	12000	11000
3	C	8.दरियापुर दयालपुर अहतमाल	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		9.रोलाहेडी	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		10. हबीबपुर निवादा	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000

उप-निबंधक  
रुड़की (तृतीय)  
तहसील भगवानपुर

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रातस्व),  
हरिद्वार

20

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति है०रु० लाख में)	अकृषि भूमि (रु० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रु० सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर)	
दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)				द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	C	11. लालवाला मजबता	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		12. मजाहिदपुर सतीवाला खालसा	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		13. शहीदवाला ग्रन्ट	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		14. बन्जारेवाला ग्रन्ट	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		15. हसनावाला	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		16. खेडी शिकोहपुर मु०	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		17. सिकरोढा-1	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		18. सिकरोढा-2	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		19. लामग्रन्ट	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		20. लालवाला खालसा	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		21. मजाहिदपुर सतीवाला मजबता	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		22. फिरोजपुर उर्फ बुग्गावाला	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		23. नौकराग्रन्ट	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000

उप-निबंधक  
रुड़की (तृतीय)  
तहसील भगवानपुर

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रातस्व),  
हरिद्वार  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार



क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति है०रू० लाख में)	अकृषि भूमि (रू० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया रू प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यक भवन की दर (रू० सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनट्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	C	24. दौलतपुर हजरतपुर उर्फ बुधवाशहीद	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		25. बहबलपुर हंसोवाला	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		26. मानक मजरा	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		27. दरियापुर दयालपुर मु०	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
		28. बहावपुर छांगामजरी	18.00	1200	12100	29500	25900	12000	11000
4	D	29. कुंजा बहादरपुर	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		30. फक्करहेडी	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		31. मोलना	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		32. बिन्दूखडक	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		33. खजूरी	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		34. मानकपुर आदमपुर	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000

रूप-निबन्धक  
रुड़की (तृतीय)  
तहसील भगवानपुर

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रातस्व),  
हरिद्वार

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

92

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति है०रू० लाख में)	अवृषि भूमि (रू० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया रू प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रू० सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर् पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	D	35. भलस्वागाज	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		36. मोहितपुर	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		37. कादरपुर	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		38. सरठेडी शाहजहांपुर	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		39. रूहालकी दयालपुर	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		40. सिरचन्दी	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		41. सुनेहटी आलापुर	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		42. बिरसंगपुर	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		43. अमरपुर काजी	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		44. शेरपुर	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		45. बिनारसी उर्फ बुलेड	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000

उप-निबंधक  
रूडकी (तृतीय)  
तहसील भगवानपुर

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रातस्व),  
हरिद्वार

सहायक आयुक्त स्टाफ/कलक्टर स्टाफ  
हरिद्वार



93

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति है०रू० लाख में)	कृषि भूमि (रू० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर ऐरिया रू प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रू० सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4	D	46. महेश्वरी	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		47. बालेकी युसुफपुर	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		48. छछरोली	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		49. बाल्लूपुर	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		50. हरचन्दपुर माजरा	25.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
5	E	51. बढेडी बुजुर्ग	20.00	1400	12100	33600	28600	12000	11000
		52. धीरमजरा मु०	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		53. पटटी डाडा	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		54. जलालपुर डाडा	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		55. अहमदपुर खेडी	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		56. हसनपुर मदनपुर मु०	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000

उप-निबंधक  
रुड़की (तृतीय)  
तहसील भगवानपुर

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रातस्व),  
हरिद्वार

02

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति है०रू० लाख में)	अकृषि भूमि (रू० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया रू प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रू० सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	
						दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5	E	57. हकीमपुर तुरा	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		58. कलालहटी	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		59. मुकरमपुर उर्फ कालेवाला	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		60. गी मौहम्मदपुर सईदपुर मु०	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		61. अलीपुर खतौला	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		62. प्रेमराजपुर	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		63. डाडली	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		64. अकबरपुर कालसो	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		65. अलावलपुर	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		66. झिडियान ग्रन्ट	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		67. फतेहउल्लापुर उर्फ तेलपुरा	18.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000

उप-निबंधक  
रुड़की (तृतीय)  
तहसील भगवानपुर

सहायक आयुक्त स्टाम्प, कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रातस्व),  
हरिद्वार



95

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति हे०रू० लाख में)	अकृषि भूमि (रू० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर ऐरिया रू प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रू० सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	F	68. खेडी शिकोहपुर जदीद मु०	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		69. शाहपुर मु०(खसरा नं० 1 से 54 तक)	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		70. कांजीबास जदीद मु०	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		71. इब्राहिमपुर मसाही	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		72. लाव्वा जदीद मु०	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		73. खुब्बनपुर लतीफपुर जदीद मु०	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		74. पलूनी	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		75. नागल	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		76..धीरमजरा अहतमाल	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		77. कुतुबपुर ग्रन्ट	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
78. हसनपुर मदनपुर अहतमाल	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000		


उप-निबंधक  
रुड़की (तृतीय)  
तहसील भगवानपुर

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रातस्व),  
हरिद्वार  
सहायक आयुक्त स्टैंडिंग/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

96

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व ग्रामों की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मौहल्लो/राजस्व का नाम	सामान्य दर (BASE RATE)						
			कृषि भूमि (प्रति है०रू० लाख में)	कृषि भूमि (रू० प्रति वर्ग मीटर)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर ऐरिया रू प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (रू० सुपर ऐरिया प्रति वर्ग मीटर)		गैर वाणिज्यिक भवन की दर (रू० प्रति वर्ग मीटर)	
दुकान/रैस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)				द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	F	79. चौल्ली शाहबुदीनपुर जदीद मु०	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		80. गी मौहम्मदपुर सईदपुर जदीद मु०	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		81. मक्खनपुर महमूद आलम जदीद मु०	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		82. हल्लूमजरा	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000
		83. खेडली	14.00	1200	12100	33600	28600	12000	11000

  
उप-निबन्धक  
रुड़की (तृतीय)  
तहसील भगवानपुर

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं रातस्व),  
सहायक आयुक्त स्टैम्प/कलक्टर स्टैम्प  
हरिद्वार



## सामान्य अनुदेशिका

(यह मूल्यांकन सूची का भाग है,

(A)	कृषि/अकृषि भूमि/बहुमंजिला आवासीय भवन/फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन/दुकान/प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी सामान्य निर्देश:-
1-	यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित की गयी है, किन्तु यदि- (क)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 05 मी० या अधिक व 12 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (ख)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 12 मी० या अधिक व 15 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (ग)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 15 मी० या अधिक व 18 मी० से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (घ)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
2-	वाणिज्यिक परिसर में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
3-	शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढियों (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीयतल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।



(कृष्ण कुमार मिश्र)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

हरिद्वार।



4-	ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 गुना दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
5-	व्यवसायिक सम्पत्ति के अन्तरण विलेख पर सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत जोड़ कर आंकलित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी। परन्तु एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि शॉपिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं है, में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से होगा।
6-	1000 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी, परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7-	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगमों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
8-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पडने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख/मुख्य मार्गों के दोनों ओर की 100 मीटर दूरी तक प्रमुख/मुख्य मार्गों हेतु निर्धारित दरें लागू होंगी।
9-	कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 गुना होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।
10-	किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।



(कृष्ण कुमार मिश्र)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प हरिद्वार।

हरिद्वार



99

11-	बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थे में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
12-	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक/गैर वाणिज्यिक भवन क्षेत्रों की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकर्ता प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त विलेख में भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्रफल अंकित किये जाने के साथ भवन का स्वीकृत मानचित्र/मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र लगाया जाना तथा निर्माण की श्रेणी के संबंध में श्रेणी लिन्टरपोश, टीनपोश अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। औद्योगिक निर्माण पर टीनपोश निर्माण की दरें प्रभावी होंगी।
13-	फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ फ्लैट एक्ट 1975 के अन्तर्गत परिभाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
14-	भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दृष्टा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख कराना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मोहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
15-	वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।
16-	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य ह्रास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
17-	बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर ₹1,000/-प्रति रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
18-	भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन ₹ 22,000/-प्रति की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
19-	टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
20-	सूची में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने पर भूमि का मूल्यांकन उक्त क्षेत्र विशेष की अकृषि दर से किया जायेगा।




(कृष्ण कुमार मिश्र)

सहायक आयुक्त (कलक्टर) अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार हरिद्वार।



100

21-	किसी भी औद्योगिक ईकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित मशीनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्रूव्ड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
22-	जिन क्षेत्रों में कृषि दर प्राविधानित नहीं है, उन क्षेत्रों में कृषि भूमि अन्तरित होने की दशा में क्षेत्र विशेष हेतु रुपये प्रति वर्गमीटर में निर्धारित अकृषि दर के आधे अर्थात् 50 प्रतिशत कम दर के अनुसार कृषि भूमि का मूल्यांकन किया जायेगा।
23-	विलेखों में निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा:-
(A)	(क)-किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की राशि विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
	(ख)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र 3. ग्रामोण क्षेत्र में स्थित होने के संबंध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(ग)-विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
	(घ)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1-दुकान 2-रेस्टोरेन्ट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम के अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(ङ)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/ बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(च)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़को/मार्ग-मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(छ)-मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।
	(ज)-पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ विलेख के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा जो कि विलेख का भाग होगा।


  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार



101


(B)	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित हैं तो उच्चतम
1-	निर्धारित दर प्रभावी होगी।
2-	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल (जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जायेगा) हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
3-	निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्संबंधी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त रटाम्प, कलकटर रटाम्प  
हरिद्वार।

102

क्षरण सारणी


1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.429
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार।



# जनपद हरिद्वार

उत्तराखण्ड स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन (संशोधन) नियमावली, 2015 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड शासन के कार्यालय ज्ञापः-17/2020/XXVII(9)/स्टाम्प-80/2009 वित्त अनुभाग-9 देहरादून, दिनांकः-12 जनवरी, 2020 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के अनुपालन में जनपद हरिद्वार के प्रमुख मार्ग, नगरीय, अर्द्धनगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों की भूमि एवं भवनों के अन्तरण हेतु पुनरीक्षित न्यूनतम सर्किल दरें संलग्न सूची के अनुसार निर्धारित की जाती है, जो दिनांक 13 जनवरी 2020 से प्रभावी होगी।

  
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
आई0ए0एस0  
कलेक्टर, हरिद्वार।

## कार्यालय कलेक्टर हरिद्वार।

प्रतिलिपि ::-

- 1- प्रमुख सचिव (वित्त) उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
- 2- महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- अपर महानिरीक्षक निबंधन मुख्यालय महानिरीक्षक निबंधन उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- जिला निबंधक हरिद्वार।
- 5- जिला स्टाम्प अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।
- 6- सहायक महानिरीक्षक निबंधन हरिद्वार।
- 7- सब रजिस्ट्रार हरिद्वार-I/II, रुड़की-I/II/III एवं लक्सर।
- 8- तहसीलदार, हरिद्वार/रुड़की/भगवानपुर एवं लक्सर।

सहायक आयुक्त स्टाम्प कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

  
(दीपेन्द्र कुमार चौधरी)  
आई0ए0एस0  
कलेक्टर, हरिद्वार।

तहसील लक्सर के प्रमुख मार्गों पर पडने वाले क्षेत्रों की दरें।

103

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)							
		अकृषि भूमि/सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मी०)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)		
		सडक से 50 मीटर की दूरी तक	51 मीटर से 200 मीटर की दूरी तक		सडक से 200 मीटर की दूरी तक ।	सडक से 200 मीटर की दूरी तक ।	प्रथम श्रेणी (लिन्टरपेश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)	
4.	5.	6.	दुकान/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान					
1.	2.	3.	4.	5.	6.				
1	1/क	(1) रेलवे फाटक लक्सर से सब्जी मण्डी मुख्य बाजार लक्सर का सम्पूर्ण मुख्य बाजार बसेडी रोड पर पप्पू नर्सिंग होम तक दोनो ओर और मेन बाजार लक्सर।	11200	10500	22200	58900	55700	12000	11000
		(2) हरिद्वार रुडकी तिराहे से बालावाली तिराहे तक 300मीटर आगे तक।	11000	10500	22000	59500	56300	12000	11000
2	2/ख	(1) गोरधनपुर तिराहे से बालावाली रोड पर तहसील मोड से अकोढा मन्दिर तक दोनो ओर।	8600	8400	19600	55000	49500	12000	11000
		(2) गोरधनपुर तिराहे से 300 मीटर बाद होली क्रॉस से गंगनोली तक दोनो ओर।	8600	8400	19600	55000	51900	12000	11000
		(3) पप्पू नर्सिंग होम से लक्सरी पुलिया तक दोनो ओर	9200	9000	20200	56600	51300	12000	11000
		(4) रेलवे फाटक से सोसायटी रोड मोड से गन्ना समिति होते हुए बालावाली तिराहा तक दोनो ओर	9000	8900	20000	55000	50000	12000	11000
3	3/ग	(1) पुरकाजी बस स्टैन्ड से भूरना रोड होते हुए नगर पंचायत कार्यालय लक्सर के 100 मीटर आगे तक।	5600	5250	16600	46600	51800	12000	11000

उपनिवेशक  
लक्सर

1

सहायक आयुक्त/कलेक्टर/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



104

1	2	3 प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)						
			अकृषि भूमि/सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)		बहुजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु0 प्रति वर्ग मीटर में)	
			सडक से 50 मीटर की दूरी तक	51 मीटर से 200 मीटर की दूरी तक		सडक से 200 मीटर की दूरी तक । दुकान/रेस्टोरेन्ट/कार्यालय	सडक से 200 मीटर की दूरी तक । अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
4	5	6	7	8	9	10			
4	4/घ	(1)लक्सर मैटाडोर स्टैन्ड चौक से रुडकी की ओर थाना मोड होते हुए बहादरपुर रेलवे फाटक तक सडक के दोनो ओर 200 मीटर दूरी तक (मुख्य मार्ग की दरो से भिन्न दरे)	6500	6100	17500	49100	44400	12000	11000
		(2)सेठपुर रोड पर सेठपुर ग्राम तक सेठपुर की सडक पर सडक के दोनो ओर 300 मीटर तक दोनो ओर।	6600	6500	17600	49200	46000	12000	11000
		(3) लक्सर हरिद्वार मुख्य मार्ग पर टिक्कमपुर से कुन्हारी तक दोनो ओर।	6900	6300	17900	47700	44500	12000	11000
5	5/च	(1)सैट थामस स्कूल के तहसील मोड से पूर्व दिशा में जूनियर/हाईस्कूल एवं तहसील होकर रायसी मोड तक एवं तहसील के दक्षिण घूम से इण्टर कालेज होते हुए सोसायटी तकसोसायटी रोड मोड से रेल मार्ग से सटे खडंजा मार्ग पर अन्त तक।	5600	5300	16600	46500	43400	12000	11000
		(2) रेलवे फाटक से पश्चिम को जाने वाली सडक जो शिवपुरी कालोनी से होते हुए वार्ड नं0-2 सतपाल की दुकान तक दोनो ओर।	5200	4700	16200	45600	45600	12000	11000

उपनिर्देशक  
लक्सर

2

सहायक आयुक्त रजिस्ट्रार/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

18

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

105

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)							
		अकृषि भूमि/सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मी०)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)		
		सडक से 50 मीटर की दूरी तक	51 मीटर से 200 मीटर की दूरी तक		सडक से 200 मीटर की दूरी तक ।	सडक से 200 मीटर की दूरी तक ।	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6	6/छ	(1) रायसी बाण गंगा पुल से गंगा तट तक (तहसील की अन्तिम सीमा तक ) लक्सर रोड पर।	2700	2600	13700	42500	39300	12000	11000
		(2)मेन बाजार से निकलने वाली बसेडी रोड ग्राम बसेडी तक एवं बसेडी रोड से रुडकी बस स्टैन्ड वाली रोड पर दोनो ओर।	4800	4700	15800	45200	39000	12000	11000
		(3) रायसी व हबीबपुर कुडी में लक्सरबालावाली रोड से रेलवे स्टेशन तक तक दोनो ओर।	5000	4800	16000	45600	42500	12000	11000
		(4) हरिद्वार रोड पर लक्सर मेटाडोर अड्डे से ग्राम टिक्कमपुर की सीमा तक दोनो ओर।	6200	6000	17200	46100	43000	12000	11000
7	7/ज	(1)लक्सरी पुलिया से बहादरपुर होते हुए रुडकी रोड तक दोनो ओर	4400	4300	15400	44600	41500	12000	11000
		(2) वार्ड नं०-2 नरोजपुर जाने वाली माल गोदाम रोड रेलवे फाटक लक्सरी से ग्राम नरोजपुर तक दोनो ओर	4400	4300	15400	44600	41500	12000	11000
		(4) जनपदीय मार्ग से लक्सर गांव एवं नगला खिताब तिराहा पर ग्राम नगला खिताब रोड पर 300 मी० तक एवं लक्सर ग्राम की ओर 300 मी० तक ।	3700	3200	14700	41300	38200	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्सर

3

सहायक आयुक्त स्टाम्प, कलकटर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।





107

1	2	3	सामान्य रेट (BASE RATE)						
			अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मी०)		बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु०प्रति वर्ग मीटर में)	
			सडक से 50 मीटर की दूरी तक	51 मीटर से 200 मीटर की दूरी तक		सडक से 200 मीटर की दूरी तक ।	सडक से 200 मीटर की दूरी तक ।	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)
4	5	6	7	8	9	10			
		(2) जनपदीय मार्ग से डौसनी रोड पर डौसनी तक सडक के दोनो ओर 200 मी० तक ।	1900	1700	12900	35500	35000	12000	11000
		(3) जनपदीय मार्ग से मौहम्मदपुर बुजुर्ग एवं मुबारिकपुर अलीपुर रोड पर 400 मी० तक ।	2100	1900	13100	38900	34700	12000	11000
		(4) बहादरपुर खादर मे बसेडा रोड पर 500 मीटर आगे तक ।	2300	2100	13300	41000	35900	12000	11000
		(5) हरिद्वार रोड से वन विभाग कार्यालय होते हुए जाने वाली सडक पर ग्राम केहडा तक ।	3500	3300	14500	41300	37000	12000	11000
		(6) गोरधनपुर/प्रहलादपुर में पुरकाजी मार्ग व अन्य व्यवसायिक क्षेत्र ।	4800	4500	15800	44450	39250	12000	11000
		(7) खानपुर ग्राम में पुरकाजी मार्ग व अन्य व्यवसायिक क्षेत्र के दोनो ओर	4800	4500	15800	41000	36000	12000	11000
		(8) तहसील लक्सर मे पुरकाजी रोड पर उत्तराखण्ड की सीमा तक सुखपाल इन्कलेव एवं विष्णु विहार फेस प्रथम व द्वितीय आदि अन्य विकसित कालोनियों हेतु यही दरें प्रभावी होगी (मुख्य मार्ग की दरो से भिन्न दरे) तक दोनो ओर ।	5500	5000	16500	43700	40900	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्सर

  
 (कृष्ण कुमार मिश्र)  
 अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
 हरिद्वार।  
 सहायक आयुक्त स्टैंडिंग/कलक्टर स्टाम्प  
 हरिद्वार



108

क्र. सं.	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)							
		अकृषि भूमि/सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मी०)		बहुमंजलीय आवस्तीय भवन में स्थित आवस्तीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)		
		सडक से 50 मीटर की दूरी तक	51 मीटर से 200 मीटर की दूरी तक		सडक से 200 मीटर की दूरी तक ।	सडक से 200 मीटर की दूरी तक ।	प्रथम श्रेणी (लिन्टर पोश)	द्वितीय श्रेणी (टीन पोश)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	9/ट	(5) हुसैनपुर में जनपदीय मार्ग से हुसैनपुर तक सडक के दोनो ओर 200 मी० तक ।	2100	1900	13100	33600	33600	12000	11000
		(3) खानपुर में तुगलपुर रोड पर भगवान शंकर इन्टर कालेज से 100 मी० आगे तक ।	2200	2000	13200	39200	34000	12000	11000
		(4) गोरधनपुर में चौराहे से लालचन्दवाला रोड एवं रुहालकी रोड पर 500 आगे तक सडक के दोनो ओर 200 मी० तक ।	2300	2000	13300	38000	35000	12000	11000
		(1)निरजंनपुर में चमनलाल आदि से बीर सिंह प्रमुख के खेत तक सडक के दोनो ओर 200 मीटर तक ।	2300	2000	13300	37400	34900	12000	11000
		(1) भिक्कमपुर में चौराहे से रामपुर रायघटी, फतवा व अलावलपुर एवं बाकरपुर जाने वाली सडक पर सडक के दोनो ओर 200 मीटर तक	2300	2000	13300	37400	33400	12000	11000
		(1)सुल्तानपुरआदमपुरइस्माईलपुर/पंचवली रोड पर मदरसा जन्नतु निषा जू० हा० स्कूल होते हुए पंचवली घाट पर डूंगरपुर रोड एवं पुरवाला बिरसंगपुर रोड पर 400 मी० आगे तक सडक के दोनो ओर 200 मी० तक ।	2500	2200	13500	41000	35000	12000	11000
		(2) रायसी में लक्सर बालावाली चौराहे से हर्ष विद्या मन्दिर डिग्री कालेज से 200 मी० आगे तक सडक के दोनो ओर 200 मी० तक ।	3000	2800	14000	41250	37000	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्सर

सहायक आयुक्त स्टेट/कलकत्ता, उत्तर प्रदेश  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

109

क 0सं 0	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लो/ राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)						
			कृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)	अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु0प्रति वर्ग मीटर में)	
						सडक से 200 मीटर की दूरी तक	सडक से 200 मीटर की दूरी तक	सडक से 200 मीटर की दूरी तक ।	सडक से 200 मीटर की दूरी तक ।
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	10/ठ	(1)लक्सर से हरिद्वार प्रमुख मार्ग पर लक्सर रुडकी तिराहे से हरिद्वार रोड पर बेगम का पुल (टिक्कमपुर वाला) पर पडने वाले ग्रामों की कृषि दर (सडक से 200 मीटर दूरी तक)	90 लाख	1950	12950	22700	19500	12000	11000
		(2)लक्सर से हरिद्वार प्रमुख मार्ग पर हरिद्वार रोड पर बेगम का पुल(टिक्कमपुर वाला) से तहसील लक्सर की अन्तिम सीमा तक पडने वाले ग्रामों की कृषि दर (सडक से 200 मीटर दूरी तक)	80 लाख	1950	12950	22700	19500	12000	11000
		(3)लक्सर से रुडकी प्रमुख मार्ग पर लक्सर से ग्राम बहादरपुर खादर रेलवे फाटक तक पडने वाले ग्रामों की कृषि दर (सडक से 200 मीटर दूरी तक)	80 लाख	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(4)लक्सर से रुडकी प्रमुख मार्ग पर ग्राम बहादरपुर खादर रेलवे फाटक से तहसील लक्सर की अन्तिम सीमा तक पडने वाले ग्रामों की कृषि दर (सडक से 200 मीटर दूरी तक)	70 लाख	1400	12400	25700	19800	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्सर

7

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प (कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



110

क 0सं 0	प्रमुख मार्ग/ मोहल लो/ राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)						
			कृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)	अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु0 प्रति वर्ग मीटर में)	
						सडक से 200 मीटर की दूरी तक	सडक से 200 मीटर की दूरी तक	सडक से 200 मीटर की दूरी तक । दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	सडक से 200 मीटर की दूरी तक । अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(5) लक्सर पुरकाजी प्रमुख मार्ग पर बालावाली चौक लक्सर से ग्राम गंगनौली की अन्तिम सीमा तक पडने वाले ग्रामों की कृषि दर (सडक से 200 मीटर दूरी तक)	80 लाख	2600	13600	22700	19500	12000	11000
		(6) लक्सर से पुरकाजी प्रमुख मार्ग पर ग्राम गंगनौली की अन्तिम सीमा से ग्राम खानपुर तक पडने वाले ग्रामों की कृषि दर (सडक से 200 मीटर दूरी तक)	70 लाख	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(7) लक्सर से पुरकाजी प्रमुख मार्ग पर ग्राम खानपुर से तहसील लक्सर की अन्तिम सीमा तक पडने वाले ग्रामों की कृषि दर (सडक से 200 मीटर दूरी तक)	60 लाख	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(8) लक्सर बालावाली प्रमुख मार्ग पर बालावाली चौक लक्सर से ग्राम अकौढा औरंगजेबपुर की अन्तिम सीमा तक पडने वाले ग्रामों की कृषि दर (सडक से 200 मीटर दूरी तक)	80 लाख	3000	14500	35500	34000	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्सर

8

सहायक आयुक्त रतन कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

(11)

क 0सं 0	प्रमुख मार्ग/ मोहल लो/ राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)						
			कृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)	अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)	बहुमंजलीय आवसीय भवन में स्थित आवसीय प्लॉट (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु0प्रति वर्ग मीटर में)	
						सडक से 200 मीटर की दूरी तक	सडक से 200 मीटर की दूरी तक	सडक से 200 मीटर की दूरी तक । दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	सडक से 200 मीटर की दूरी तक । अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		(9)लक्सर बालावाली प्रमुख मार्ग पर ग्राम अकौडा औरंगजेबपुर की अन्तिम सीमा से बाण गंगा पुल तक पडने वाले ग्रामों की कृषि दर (सडक से 200 मीटर दूरी तक)	70 लाख	1950	12950	22700	19500	12000	11000
		(10)लक्सर बालावाली प्रमुख मार्ग पर बाण गंगा पुल से तहसील की अन्तिम सीमा तक पडने वाले ग्रामों की कृषि दर (सडक से 200 मीटर दूरी तक)	60 लाख	1800	12800	22700	19500	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्सर

9

सहायक आयुक्त रतन कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार (कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



तहसील लक्सर के नगरीय मोहल्लों की दरें।

112

क0सं 0	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लो / राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)					
			अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु0प्रति वर्ग मीटर में)	
					दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
1	1/क	अम्बेडकर नगर (वार्ड नं0 01 )	4450	15450	36370	33940	12000	11000
2	2/ख	सीमली (वार्ड नं0 02)	5700	16700	36650	36500	12000	11000
3	3/ग	शिवपुरी (वार्ड नं0 03)	6250	17250	40950	37760	12000	11000
		शिवपुरी पूर्वी (वार्ड नं0 04 )	6250	17250	40950	37760	12000	11000
4	4घ	लक्सरी (वार्ड नं0 05)	5700	16700	37760	36850	12000	11000
5	5/ड	आदर्श कालोनी (वार्ड नं0 06 )	5700	16700	37970	37050	12000	11000
6	6/च	मेन बाजार (वार्ड नं0 07)	9900	20900	45150	44600	12000	11000
7	7/छ	लक्सर पूर्वी (वार्ड नं0 08 )	4850	15850	34800	33050	12000	11000
8	8/ज	आजाद नगर(वार्ड नं0 09)	6250	17250	40700	37550	12000	11000
9	9/झ	केशव नगर (वार्ड नं0 10)	6250	17250	40250	37050	12000	11000
		केशव नगर पूर्वी (वार्ड नं0 11)	6250	17250	40250	37050	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्सर

10

सहायक आयुक्त (कृष्ण कुमार मिश्र)  
अवर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

तहसील लक्सर के अर्द्ध-नगरीय क्षेत्रों की दरें।

113

क0 सं0	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लो / राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)					गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु0प्रति मीटर में)	
			कृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति है0) (रु0 लाख में)	अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मी0)		प्रथम श्रेणी (लिनटरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
						दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	1/क	(1) लक्सरी	26.00	2750	13750	36000	34400	12000	11000
		(2) नसरुल्लापुर	26.14	2600	13600	35800	34200	12000	11000
		(3) अकौढा औरंगजेबपुर	30.00	3000	14000	35600	34050	12000	11000
		(4) शेखपुरी	30.00	3900	14900	36050	36050	12000	11000
		(5) बसेडी खादर	31.20	2650	13650	35900	34300	12000	11000
		(6) सीमली	31.50	3500	14500	35500	34000	12000	11000
		(7) केहडा	33.00	2600	13600	35850	34300	12000	11000
		(8) लक्सर	34.80	3500	14500	36300	34700	12000	11000
2	2/ख	(1) बहादरपुर खादर	30.00	2750	13750	36300	34700	12000	11000
3	3/ग	(1)सलेमपुर बक्काल	29.90	3350	14350	34390	33350	12000	11000
4	4/घ	(1) नरोजपुर	21.00	1550	12550	34500	32900	12000	11000
		(2) मुटकाबाद	25.20	1650	12650	34400	33100	12000	11000
5	5/ड	(1) पुन्डेरपुर उर्फ पीपली	29.50	1600	12600	34800	32900	12000	11000
		(2) रायपुर	29.50	1600	12600	34500	32900	12000	11000
6	6/च	(1) नगला खिताब	29.50	1600	12600	34500	32900	12000	11000
		(2) सेठपुर	29.50	1300	12300	34700	33100	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्सर

11

सहायक आयुक्त लक्सर  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



तहसील लक्सर के ग्रामीण क्षेत्रों की दरें।

114

क0 सं0	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लो/ राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)					गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु0प्रति मीटर में)	
			कृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति है0) (रु0 लाख में)	अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मी0)		प्रथम श्रेणी (लिनटरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
						दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	1/क	(1)इदरीशपुर	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(2)बादशाहपुर	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(3)चखेरी	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(4)कलसिया	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(5)माडाबेला	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(6)चन्दपुरी खादर	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(7)शोरपुर बेला	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(8)गिद्धावाली	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(09)दूधला	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(10)कवलपुर	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(11)दल्लावाला	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(12)झीवरहेडी	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(13)बानूवाला,	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(14)मुजफरपुर गुजरा जदीद	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(15)फतवा अहतमाल	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(16)गंगदापुर अहतमाल	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(17)गंगदापुर मुस्तहकम	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्सर

सहायक आयुक्त राजस्व कलेक्टर इटाम्ब  
हरिद्वार

18

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

115

क० सं०	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लो/ राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)						
			कृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु० प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु०प्रति वर्ग मीटर में)	
						दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनट्रपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1	1/ क	(18)सहीपुर	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(19)मदारपुर	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(20)आलमपुर	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(21)याहियापुर	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(22) शाहपुर	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(23)रुहालकी	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(24)इब्राहिमपुर	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(25)करनपुर	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(26) रघुनाथपुर उर्फ बालावाली	9.30	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(27) मंसूरपुर उर्फ कपूरो	9.30	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(28)शेरपुर बेला महाजी हिरदेरामपुर	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
2	2/ख	(1)मथाना	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(2) पौडोवाली	8.00	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(3) जसपुर रणजीतपुर मुस्तहकम एवं अहतमाल	8.60	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(4) महाराजपुर खुर्द	8.60	1400	12400	24250	21100	12000	11000
		(5) शिवपुरी मुस्तहकम एवं अहतमाल	8.60	1400	12400	24250	21100	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्ष्मण

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)						
			कृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	3/ग	(1) फतवा मु०	10.50	1500	12400	24250	21100	12000	11000
		(2) रामपुर रायघटी मुस्तहकम एवं अहतमाल	10.50	1500	12400	24250	21100	12000	11000
		(3) मुजफरपुर गुजरा से श्रेणी 3 ग के क्रमांक 14 तक एवं 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29 में समान दर लागू होंगी	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(4) बरमपुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(5) दरगाहपुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(6) डूंगरपुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(7) ओसपुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(8) प्रतापपुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(9) पुरवाला बिरसंगपुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(10) बहालपुरी	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(11) बिचपडी	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(12) ज्वाहरखान उर्फ झीवरहेडी	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(13) केशोवाला उर्फ लडौला	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(14) मौहम्मदपुर जमापुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(15) नेहन्दपुर	12.80	1500	12400	25700	19800	12000	11000
		(16) प्रेमपुर उर्फ लडौली	14.00	1500	12400	25700	19800	12000	11000

उपनिबंधक  
लखसर

सहायक आयुक्त/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

117

क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)						
			कृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	3/ग	(17)फिदाईपुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(18)मौहम्मदपुर खादर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(19) महेशारा	12.80	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(20) मिर्जापुर सादात	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(21) न्यामतपुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(22) हस्तमौली	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(23) सिकंदरपुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(24)चंदपुरी बांगर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(25) भारुवाला	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(26) बहादरपुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(27) अब्दीपुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(28)असगरपुर	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(29) बालचंदवाला	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(30) धर्मपुर	12.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(31) अकबरपुर माजरी	11.30	1600	12600	25700	19800	12000	11000
		(32) खडौली	10.20	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(33) मलकपुर	10.20	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(34) कुआखेडा अह०	10.50	1400	12400	25700	19800	12000	11000

उपनिबंधक लक्कर

सहायक आयुक्त राजस्व हरिद्वार

डॉक्टर रतनाम्

(कृष्ण कुमार मिश्र) अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व), हरिद्वार।



118

क0 सं0	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लो/ राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सान्न्त्य रेट (BASE RATE)						
			कृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति है0) (रु0 लाख में)	अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)	बहुमजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु0प्रति वर्ग मीटर में)	
						दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनन्टरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
3	3/ग	(35) लादपुर कलां अह0	10.50	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(36) रसूलपुर उर्फ कंकरखाता	12.70	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(37) खानपुर /परगना ज्वालापुर	12.70	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(38) भगतनपुर मजरा निरंजनपुर	12.70	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(39) जोगावाला	12.70	1400	12400	25700	19800	12000	11000
4	4/घ	(1)पंचेवली	12.00	1600	12600	25700	19800	12000	11000
		(2) अब्दुल रहीमपुर	12.70	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(3) महतौली	12.70	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(4)भिककमपुर जीतपुर	12.70	1600	12600	25700	19800	12000	11000
		(5)दयालपुर	11.50	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(6) सुठारी	14.50	1600	12600	25700	19800	12000	11000
		(7) मुसाहिबपुर	12.70	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(8) नैतवाला सैदाबाद	15.00	1600	12600	25700	19800	12000	11000
		(9) कानेवाली रायसिंह	12.70	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(10) माजरी	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(11) टाण्डा जलालपुर	12.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(12) जैनपुर खुर्द मुस्त0 एवं अहत0	11.00	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(13) ढाढेकी ढाणा मजाहिदपुर अहत0	12.60	1400	12400	25700	19800	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्षर

  
 (कृष्ण कुमार मिश्र)  
 अफसर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
 हरिद्वार।  
 सहायक आयुक्त (राजस्व)  
 हरिद्वार

क0 सं0	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लो/ राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)						
			कृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति है0) (रु0 लाख में)	अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)	बहुमंतीय अखनिय भवन में स्थित अखनिय फ्लैट (सुफ्त एरिया रु0 प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु0प्रति वर्ग मीटर में)	
						दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
4	5/घ	(14) रसूलपुर बक्काल मु0 एवं अहतमाल	12.60	1400	12400	25700	19800	12000	11000
		(15) तुगलपुर	12.50	1500	12500	23000	19700	12000	11000
		(16) राजपुर	11.50	1500	12500	23000	19700	12000	11000
		(17) महाराजपुर कलां	10.50	1400	12400	23000	19700	12000	11000
		(18) बाकरपुर	10.50	1400	12400	23000	19700	12000	11000
		(19) लालचन्दवाला	10.50	1400	12400	23000	19700	12000	11000
		(20) भोवावाली	10.50	1400	12400	23000	19700	12000	11000
		(21) मिर्जापुर उर्फ मोहनावाला	11.70	1400	12400	23000	19700	12000	11000
5	5/ड	(1)रायसी	14.90	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(2) हबीबपुर कुडी	14.90	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(3) गोस्धनपुर	14.90	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(4) खानपुर/पर0 गोस्धनपुर	14.90	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(5) निरंजनपुर	15.30	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(6)जैतपुर	14.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(7) जलाल माजरा	14.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(8) कुडी	14.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(9) खेडी खुर्द	14.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(10) मुण्डाखेडा कलां	14.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्कर

सहायक जिलाधिकारी  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



120

क0 सं0	प्रमुख मार्ग/ मोहल्लो/ राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग/मोहल्लो/राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)						
			कृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति है0) (रु0 लाख में)	अकृषि भूमि/ सम्पत्ति (रु0 प्रति वर्ग मी0)	वृत्तीय वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्लॉट (खुद एरिया रु0 प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु0 प्रति वर्ग मी0)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु0प्रति वर्ग मीटर में)	
						दुकान/ रेस्टोरेन्ट/ कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5	5/ड	(11) सुखी चक	14.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(12) हिरनाखेडी	12.20	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(13) तिघरी	17.00	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(14) फतेहपुर जुनार	14.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(15) फतेहपुर चमार	14.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(16) ईस्माईलपुर	14.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(17) मुबारिकपुर	14.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(18)भूरनीखतीरपुर	15.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(19) दाबकी कलां	15.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(20) बिजोपुरा	15.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(21) ढाढेकी ढाणा मजाहिदपुर मुस्तहकम	15.40	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(22) कासमपुर निवादा मुस्तहकम	13.20	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(23) कुआखेडा मु0	15.40	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(24) लादपुर कलां मुस्तहकम	13.20	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(25)महेशरी	15.40	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(26) मखियाली खुर्द	13.20	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(27)मुबारिकपुर अलीपुर	13.20	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(28) रजबपुर	13.20	1700	12700	22700	19500	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्सर

सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

121

क० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)						
			कृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय प्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिनटरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
5	5/ड	(29) बक्काल मुस्तहकम	13.20	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(30) मखियाली कलां	13.20	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(31) नसीराबाद	15.00	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(32) सीधडू	13.20	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(33)भूरना	15.40	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(34) बसेडा खादर	16.50	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(35) मौहम्मदपुर बुजुर्ग अह०एवं मुस्त०	14.50	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(36) प्रहलादपुर	12.00	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(37) चिडियापुर	12.00	1700	12700	22700	19500	12000	11000
		(38) अकौडा मुकरमतपुर	13.20	1650	12650	22700	19500	12000	11000
		(39) कासमपुर निवादा अहत०	11.50	1450	12450	24150	20800	12000	11000
6	6/च	(1)अलावलपुर	14.00	1600	12600	23800	20500	12000	11000
		(2) खडंजा कुतुबपुर	16.80	1800	12800	22700	19500	12000	11000
		(3) बुक्कनपुर	18.20	1950	12950	22700	19500	12000	11000
		(4) दाबकी खुर्द	18.20	1950	12950	22700	19500	12000	11000
		(5) डौसनी	18.20	1950	12950	22700	19500	12000	11000
		(6) हुसैनपुर	18.20	1950	12950	22700	19500	12000	11000
		(7) बुडडाखेडा मीमला	18.20	1950	12950	22700	19500	12000	11000
				(8) मुण्डाखेडा खुर्द	18.20	1950	12950	22700	19500

उपनिबंधक  
लक्सर

19

सहायक आयुक्त स्टाफ, हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



क्र० सं०	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामो की श्रेणी	प्रमुख मार्ग / मोहल्लो / राजस्व ग्रामो का नाम	सामान्य रेट (BASE RATE)						
			कृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति है०) (रु० लाख में)	अकृषि भूमि / सम्पत्ति (रु० प्रति वर्ग मी०)	बहुमंजलीय आवासीय भवन में स्थित आवासीय फ्लैट (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मीटर)	वाणिज्यिक भवन की दर (सुपर एरिया रु० प्रति वर्ग मी०)		गैर वाणिज्यिक निर्माण की दर (रु० प्रति वर्ग मीटर में)	
						दुकान / रेस्टोरेन्ट / कार्यालय	अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान	प्रथम श्रेणी (लिन्टरपोश)	द्वितीय श्रेणी (टीनपोश)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
7	7/छ	(1) खेडी मुबारिकपुर	18.20	1950	12950	22700	19500	12000	11000
		(2) ऐथल बुजुर्ग	21.70	2100	13100	22700	19500	12000	11000
8	8/झ	(1) अकबरपुर उद	31.00	2600	13600	22700	19500	12000	11000
		(2) सुल्तानपुर आदमपुर	31.00	2600	13600	22700	19500	12000	11000
		(3) गंगनौली	31.00	2600	13600	22700	19500	12000	11000

उपनिबंधक  
लक्सर

कृष्ण कुमार मिश्र  
असistant जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

सहायक आयुक्त स्टाम्प कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार

## :सामान्य अनुदेशिका:

(यह मूल्यांकन सूची का भाग है)

(A)	कृषि/अकृषि भूमि/बहुमंजिला आवासीय भवन/फ्लैट तथा वाणिज्यिक भवन/दुकान/प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने सम्बन्धी सामान्य निर्देश:-
1-	यद्यपि कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान हेतु श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर 05 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड हेतु निर्धारित ली गयी है, किन्तु यदि- (क)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 05 मी0 या अधिक व 12 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 05 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (ख)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 12 मी0 या अधिक व 15 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 10 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (ग)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 15 मी0 या अधिक व 18 मी0 से कम चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो सामान्य दर के 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा, या (घ)-कृषि/अकृषि भूमि एवं बहुमंजिला आवासीय परिसर में स्थित आवासीय फ्लैट तथा वाणिज्यिक परिसर में स्थित प्रतिष्ठान 18 मीटर या अधिक चौड़े मार्ग के किनारे स्थित है, तो उक्त दशा में श्रेणीवार निर्धारित सामान्य दर में 15 प्रतिशत अधिक दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
2-	वाणिज्यिक परिसर में स्थित दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर निर्धारित की जायेगी। सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर के आधार पर नियत की जाने वाली सामान्य दर में भूमि एवं निर्माण का मूल्यांकन समाहित माना जायेगा।
3-	शॉपिंग मॉल तथा अन्य ऐसे प्रतिष्ठान जिनमें स्वचालित यांत्रिक सीढियों (Escalator) का प्रयोग हुआ हो, को छोड़कर बहुखण्डीय व्यवसायिक प्रतिष्ठानों में अन्तरित सम्पत्ति में लोअर ग्राउण्ड फ्लोर, अपर ग्राउण्ड फ्लोर एवं मेजनाईन फ्लोर पर भूतल के समान दरें प्रभावी होगी, जबकि बेसमेन्ट व प्रथमतल, द्वितीयतल पर होने की दशा में ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में क्रमशः 10 प्रतिशत, 20 प्रतिशत की छूट देय होगी तथा तृतीय तल एवं उससे ऊपर के तलों पर स्थित ऐसी वाणिज्यिक इकाई के सम्पूर्ण आगणित मूल्यांकन में 30 प्रतिशत की छूट देय होगी।

सहायक आयुक्त (आवक) कलक्टर स्थल  
हरिद्वार

(कृष्ण कुमार मिश्र)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



4-	ऐसी दुकान/वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन किये जाने जिसमें खुला क्षेत्र भी सम्मिलित हो तो निर्मित क्षेत्रफल का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची में निर्धारित दर जिसमें भूमि एवं निर्माण की दोनों की दरें सम्मिलित हैं, के अनुसार एवं संलग्नक खुली भूमि का मूल्यांकन अकृषि भूमि हेतु निर्धारित दर की 1.10 गुना दर के आधार पर आंकलित किया जायेगा।
5-	व्यवसायिक सम्पत्ति के अन्तरण विलेख पर सुपर एरिया का तात्पर्य, निर्मित क्षेत्रफल में 10 प्रतिशत जोड़ कर आंकलित क्षेत्रफल से होगा, जिस पर सुपर एरिया प्रति वर्गमीटर की निर्धारित दर प्रभावी होगी। परन्तु एकल व्यवसायिक सम्पत्ति, जो कि शॉपिंग मॉल/काम्प्लैक्स का भाग नहीं है, में सुपर एरिया का तात्पर्य निर्मित क्षेत्रफल से होगा।
6-	1000 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी, परन्तु नगरीय क्षेत्र से बाहर के क्षेत्रों में 500 वर्ग मीटर अथवा उससे कम कृषि भूमि के अन्तरण पर उक्त श्रेणी में अकृषि भूमि हेतु श्रेणीवार निर्धारित दरें लागू की जायेगी।
7-	उत्तर प्रदेश वित्त निगम, उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद, विकास प्राधिकरणों, औद्योगिक विकास प्राधिकरणों, जिला उद्योग केन्द्रों, राज्य औद्योगिक विकास निगम सिडकुल तथा अन्य राजकीय संस्थाओं/निगनों द्वारा अन्तरित परिसम्पत्तियों हेतु उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित/अभिव्यक्त मूल्य ही बाजार मूल्य के रूप में अनुमन्य होगा, परन्तु उपरोक्त वर्णित संस्थाओं के द्वारा निष्पादित किये गये लेखपत्रों का मूल्यांकन लेखपत्र के निष्पादन की तिथि में उक्त संस्थानों द्वारा निर्धारित दरों से कम नहीं होगी, जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जाना अनिवार्य होगा।
8-	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख/मुख्य मार्गों पर पडने वाले समस्त नगरीय क्षेत्र, अर्द्ध नगरीय क्षेत्र तथा ग्रामीण क्षेत्र की सम्पत्तियों के अन्तरण विलेख पर सम्पत्ति के प्रमुख/मुख्य मार्गों के दोनों ओर की 100 मीटर दूरी तक प्रमुख/मुख्य मार्गों हेतु निर्धारित दरें लागू होंगी।
9-	कृषि या अकृषि भूखण्डों पर वर्तमान में विकसित अथवा विकसित किये जाने वाले वाणिज्यिक भूखण्डों की दर उपरोक्तानुसार वर्णित सामान्य दर की 1.10 गुना होगी। उक्त हेतु सामान्य दर का तात्पर्य सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर के आधार पर आंकलित दर से होगा।
10-	किसी भी प्रकार की भूमि/आवासीय भवन में निहित भूमि के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर, उक्त भूमि/आवासीय भवन की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।



(कृष्ण कुमार मिश्र)

अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),

सहायक आयुक्त स्टाम्प, कलेक्टर स्टाम्प हरिद्वार।

हरिद्वार

11-	बहुमंजिली आवासीय परिसर में स्थित फ्लैट/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन में स्थित वाणिज्यिक प्रतिष्ठान के मूल्यांकन हेतु सामान्य दर बहुमंजिली आवासीय परिसर/बहुमंजिली वाणिज्यिक भवन के परिसर की अवस्थिति में सर्वाधिक चौड़ाई वाले मार्ग की सामान्य दर मानी जायेगी।
12-	विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के आवासीय/औद्योगिक/गैर वाणिज्यिक भवन होने की स्थिति में भवनों के निर्माण स्तर के सम्बन्ध में सम्बन्धित स्वीकर्ता प्राधिकारी/संस्था/विकास प्राधिकरण द्वारा जिस श्रेणी का मानचित्र स्वीकृत हो उसका विलेख में उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा इसके अतिरिक्त विलेख में भूखण्ड का क्षेत्रफल, कुल निर्मित क्षेत्रफल अंकित किये जाने के साथ भवन का स्वीकृत मानचित्र/मान्यता प्राप्त मानचित्रकार द्वारा निर्मित मानचित्र लगाया जाना तथा निर्माण की श्रेणी के संबंध में श्रेणी लिन्टरपोश, टीनपोश अथवा फ्लैट्स होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा। औद्योगिक निर्माण पर टीनपोश निर्माण की दरें प्रभावी होंगी।
13-	फ्लैट का तात्पर्य उत्तर प्रदेश ओनरशिप आफ फ्लैट एक्ट 1975 के अन्तर्गत पस्नाषित निर्मित भवन के भाग से होगा।
14-	भूमि/सम्पत्ति के अन्तरण पर सर्किल दर सूची में उल्लिखित कालोनी की दशा में सम्बन्धित कालोनी के नाम का उल्लेख करना अनिवार्य होगा एवं तदनुसार विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति का मूल्यांकन कालोनी/क्षेत्र की निर्धारित दरों में जो भी उच्च हो के अनुसार किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में विलेख में यह उल्लेख कराना अनिवार्य होगा कि अन्तरित भूमि/सम्पत्ति मूल्यांकन सूची में वर्णित कालोनियां/मोहल्लों/क्षेत्रों में स्थित नहीं है।
15-	वाणिज्यिक/अनावासीय भवनों के मूल्यांकन में कोई ह्रास मूल्य देय नहीं होगा।
16-	भवनों की आयु निर्धारण के सम्बन्ध में भवन के निर्माण का वर्ष, भवन की आयु और मूल्य ह्रास (जिसकी क्षरण सारणी संलग्न है) को अंकित किया जाना अनिवार्य होगा, उक्त के अभाव में कोई क्षरण देय नहीं होगा। फ्लैटों के मूल्यांकन में कोई क्षरण देय नहीं होगा।
17-	बाउण्ड्री वॉल के स्थित होने पर ₹1,000/-प्रति रनिंग मीटर की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
18-	भूमि में बोरिंग होने की स्थिति में बोरिंग का मूल्यांकन ₹ 22,000/-प्रति की दर से मूल्यांकन किया जायेगा।
19-	टीनपोश भवन में निर्माण के मूल्यांकन पर क्षरण अधिकतम 25 वर्षों का देय होगा।
20-	सूची में वर्णित औद्योगिक क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में औद्योगिक प्रयोजन हेतु भूमि क्रय करने पर भूमि का मूल्यांकन उक्त क्षेत्र विशेष की अकृषि दर से किया जायेगा।

(कृष्ण कुमार मिश्र)

सहायक आयुक्त स्टांप/कलेक्टर स्टांप  
हरिद्वार  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।



21-	किसी भी औद्योगिक ईकाई का अन्तरण होने की दशा में उक्त में स्थापित इन्डोनरी का मूल्यांकन गवर्नमेन्ट एप्रूड वैल्यूअर की रिपोर्ट के अनुसार किया जायेगा।
22-	जिन क्षेत्रों में कृषि दर प्राविधानित नहीं है, उन क्षेत्रों में कृषि भूमि अन्तरित होने की दशा में क्षेत्र विशेष हेतु रुपये प्रति वर्गमीटर में निर्धारित अकृषि दर के आधे अर्थात् 50 प्रतिशत कम दर के अनुसार कृषि भूमि का मूल्यांकन किया जायेगा।
23-	विलेखों में निम्नवत् तथ्यों का उल्लेख किया जायेगा:-
(A)	(क)-किसी विलेख पर स्टाम्प शुल्क की प्रभार्यता या उस पर प्रभार्य शुल्क की दशा विलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर की जायेगी।
	(ख)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के 1. नगरीय क्षेत्र 2. अर्द्धनगरीय क्षेत्र 3. ग्रामीण क्षेत्र में स्थित होने के संबंध में भूमि/सम्पत्ति की अवस्थिति अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(ग)-विलेख में विलेख के द्वारा अन्तरित भूमि/सम्पत्ति के कृषि/अकृषि/आवासीय/अनावासीय/व्यवसायिक/औद्योगिक होने का उल्लेख किया जाना अनिवार्य होगा।
	(घ)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति के वाणिज्यिक भवनों के होने की स्थिति में वाणिज्यिक भवनों का प्रकार 1-दुकान 2-रेस्टोरेन्ट 3-कार्यालय तथा अन्य वे सभी स्थल, जो कि उत्तर प्रदेश वाणिज्य अधिनियम में अन्तर्गत आच्छादित हो, अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(ङ)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति का नगरपालिका खाता संख्या/ बन्दोबस्त संख्या/खसरा संख्या/खेवट संख्या/राजस्व ग्राम, सम्पत्ति की चिन्हीकरण हेतु वांछित तथ्य एवं विलेख के द्वारा अन्तरित अकृषि भूमि/सम्पत्ति का मानचित्र (नक्शा), चौहद्दी माप सहित एवं सूची में वर्णित क्षेत्र के प्रमुख/मुख्य मार्ग से दूरी अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(च)-विलेख में वर्णित भूमि/सम्पत्ति की चौहद्दी में वर्णित सड़क-सड़को/मार्ग-मार्गों की चौड़ाई (मीटर में) अंकित किया जाना अनिवार्य होगा।
	(छ)-मूल्यांकन सूची में वर्णित कार्यालय शब्द का तात्पर्य ऐसे कार्यालय से होगा जो कि विभिन्न कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा किराये पर लिए गये उन भवनों से है, जहां से उन कम्पनियों/प्रतिष्ठानों द्वारा अपने व्यवसायिक कार्यकलापों का संचालन किया जाता है, तथा जो भवन उत्तर प्रदेश स्टाम्प सम्पत्ति का मूल्यांकन नियमावली 1997 में यथा परिभाषित है।
	(ज)-पक्षकारों द्वारा अन्तरित सम्पत्ति का नवीनतम स्थलीय फोटोग्राफ विलेख के साथ संलग्न किया जाना अनिवार्य होगा जो कि विलेख का भाग होगा।

127

(B)	मूल्यांकन सूची में वर्णित प्रमुख मार्ग/क्षेत्रवार निर्धारित दरों में यदि किसी स्थल की दरें एक से अधिक स्थान पर निर्धारित है तो उच्चतम
1-	निर्धारित दर प्रभावी होगी।
2-	मूल्यांकन सूची में यदि किसी क्षेत्र की दरें निर्धारित होने से छूट गयी है तो समीपस्थ स्थल (जिसका स्पष्ट उल्लेख विलेख में किया जायेगा) हेतु निर्धारित उच्चतम दर से सम्पत्ति का मूल्यांकन किया जायेगा।
3-	निर्गत की जा रही मूल्यांकन सूची में यदि कोई लिपिकीय त्रुटि संज्ञान में आती है तो उक्त त्रुटि को शुद्ध करने हेतु तत्संबंधी निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।

  
सहायक आयुक्त स्टांप कलेक्टर स्टांप  
हरिद्वार



128

क्षरण सारणी

1 Yrs	0.990	21	0.809	41	0.662	61	0.541	81	0.443
2	0.980	22	0.801	42	0.655	62	0.536	82	0.438
3	0.970	23	0.793	43	0.649	63	0.530	83	0.434
4	0.960	24	0.785	44	0.642	64	0.525	84	0.429
5	0.950	25	0.777	45	0.636	65	0.518	85	0.425
6	0.941	26	0.770	46	0.629	66	0.515	86	0.421
7	0.932	27	0.762	47	0.623	67	0.509	87	0.417
8	0.927	28	0.754	48	0.617	68	0.504	88	0.412
9	0.913	29	0.747	49	0.611	69	0.499	89	0.408
10	0.904	30	0.739	50	0.605	70	0.494	90	0.404
11	0.890	31	0.731	51	0.598	71	0.489	91	0.400
12	0.880	32	0.724	52	0.592	72	0.484	92	0.396
13	0.870	33	0.717	53	0.587	73	0.480	93	0.392
14	0.868	34	0.710	54	0.581	74	0.475	94	0.388
15	0.860	35	0.703	55	0.575	75	0.470	95	0.384
16	0.851	36	0.696	56	0.569	76	0.465	96	0.381
17	0.842	37	0.689	57	0.563	77	0.461	97	0.377
18	0.834	38	0.682	58	0.558	78	0.456	98	0.373
19	0.826	39	0.675	59	0.552	79	0.452	99	0.369
20	0.817	40	0.668	60	0.547	80	0.447	100	0.366

  
(कृष्ण कुमार मिश्र)  
अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व),  
हरिद्वार।  
सहायक आयुक्त स्टाम्प/कलेक्टर स्टाम्प  
हरिद्वार।